



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/2024-25/13

विवि.एसटीआर.आरईसी.9/21.04.048/2024-25

2 अप्रैल 2024

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों पर मास्टर परिपत्र - शहरी सहकारी बैंक

कृपया अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मामले पर 8 मई 2023 के [मास्टर परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.14/21.04.048/2023-24](#) देखें, जिसमें बैंकों को 31 मार्च 2023 तक जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था।

2. उपरोक्त मामले पर 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन संशोधित [मास्टर परिपत्र](#) संलग्न है, जैसा कि अनुबंध 9 में सूचीबद्ध है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह मास्टर परिपत्र केवल 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए उपरोक्त मामले पर सभी निर्देशों को समेकित करता है और इसमें कोई नया निर्देश/दिशानिर्देश शामिल नहीं है।

भवदीय

(वैभव चतुर्वेदी)

संलग्नक: यथोक्त

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों पर मास्टर परिपत्र

	<u>विषयवस्तु</u>	
क्र सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य	4
2.	अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	4
	2.1 अनर्जक के रूप में आस्तियों का वर्गीकरण	4
	2.2 एनपीए के रूप में खातों का निरूपण	9
	2.2.1 वसूली का अभिलेख	9
	2.2.2 एनपीए का निरूपण - उधारकर्तावार न कि सुविधावार	9
	2.2.3 कृषि अग्रिम - प्राकृतिक आपदाओं के कारण चुकौती में चूक	9
	2.2.4 स्टाफ को आवास ऋण	10
	2.2.5 भारत सरकार/ राज्य सरकारों की गारंटियों द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएं	10
	2.2.6 परियोजना वित्तपोषण	10
	2.2.7 अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	11
	2.2.8 अन्य अग्रिम	17
	2.2.9 एनपीए माने गए निवेश पर आय का निर्धारण	18
	2.2.10 रिज़र्व बैंक को एनपीए की रिपोर्टिंग	18
	2.2.11 उपभोक्ता शिक्षण	18
3.	आस्ति वर्गीकरण	18
	3.1 वर्गीकरण	18
	3.2 परिभाषा	18
	3.3 आस्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश	19
	3.3.1 मूल अवधारणा	19
	3.3.2 सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा स्वीकृत पुनर्वास पैकेजों के तहत दिए गए अग्रिम	20
	3.3.3 एनपीए के रूप में आस्तियों के वर्गीकरण की आंतरिक प्रणाली	20
4.	आय निर्धारण	20
	4.1 आय निर्धारण - नीति	20
	4.2 एनपीए हो जानेवाले खातों पर आय का प्रत्यावर्तन	21

	4.3 शेयरों और बाँडों में निवेश पर आय दर्ज करना	22
	4.4 एनपीए की आंशिक वसूली	22
	4.5 ब्याज लगाना	22
5.	प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड	23
	5.1 ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड	23
	5.2 सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधानीकरण	25
	5.3 धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान	26
	5.4 विशिष्ट मामलों में प्रावधानीकरण के लिए दिशानिर्देश	26
6.	ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण	28
7.	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	28
	अनुबंध 1: कृषि प्रयोजन के लिए कृषकों को प्रत्यक्ष वित्त	29
	अनुबंध 2: प्रारूप	30
	अनुबंध 3: अर्जक और अनर्जक दोनों प्रकार के अग्रिमों पर उपचित ब्याज के संबंध में पारित की जानेवाली उदाहरणात्मक लेखा प्रविष्टियां	33
	अनुबंध 4: अक्सर पूछे जानेवाले कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण	35
	अनुबंध 5: अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंड -प्रमुख अवधारणाएं	39
	अनुबंध 6: पुनर्रचना पर दिशानिर्देश - रिपोर्ट फॉर्मेट	41
	अनुबंध 7: पुनर्रचना पर दिशानिर्देश – उदाहरण	42
	अनुबंध 8: कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के आस्ति वर्गीकरण संबंधी दिशानिर्देश	44
	अनुबंध 9: समेकित परिपत्रों की सूची	49

1. सामान्य

- 1.1 किसी बैंक के तुलनपत्र में उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाने और वित्तीय प्रणाली पर समिति (अध्यक्ष श्री. एन.नरसिंहम) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के अग्रिम संविभाग के लिए चरणबद्ध तरीके से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को आरंभ किया है।
- 1.2 मोटे तौर पर, आय निर्धारण की नीति वस्तुपरक होनी चाहिए और व्यक्ति सापेक्ष होने की बजाए वसूली रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। उसी तरह, बैंकों की आस्तियों का वर्गीकरण वास्तविक मानदंडों के आधार पर किया जाना है जो मानदंडों के समान रूप से और सुसंगत रूप से लागू होना सुनिश्चित करेगा। प्रावधानीकरण सामान्यतः आस्तियों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए।
- 1.3 राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम और/ या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या अन्य सांविधिक अधिनियमों की अपेक्षाओं का पालन, यदि वे एतद्वारा उल्लिखित से कड़े हो तो, उनका अनुपालन जारी रखा जाए।

2. अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

2.1 अनर्जक के रूप में आस्तियों का वर्गीकरण

2.1.1 गैर-निष्पादित आस्ति ऋण या अग्रिम है, जहां:

- (i) किसी मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किस्त 90 से अधिक दिनों के लिए अतिदेय¹ हो गई हो।
- (ii) ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) और ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में पेश किए जा रहे अन्य सभी ऋण उत्पादों के संबंध में, जिसमें वे उत्पाद शामिल हैं जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं और/या जिनमें मात्र क्रेडिट के रूप में ब्याज की चुकौती शामिल है, खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर'² बना रहता है।
- (iii) खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में, बिल 90 से अधिक दिनों के लिए अतिदेय हो।

¹ किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि, यदि बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख तक भुगतान नहीं की जाती है, तो अतिदेय हो जाती है।

² किसी खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि :

i. क्रेडिट सीसी/ओडी खाते में बकाया राशि 90 दिनों तक लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बनी हुई है, या

ii. सीसी/ओडी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है लेकिन 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं होता है, या सीसी/ओडी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट राशि पर्याप्त नहीं है। पूर्वोक्त 'पिछले 90 दिनों की अवधि' में वह दिन शामिल है जिसके लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चल रही है।

- (iv) [अनुबंध 1](#) में सूचीबद्ध प्रत्यक्ष कृषि संबंधी अग्रिमों के मामले में पैरा 2.1.3 में निर्धारित अतिदेय संबंधी मानदंड लागू होंगे। [अनुबंध 1](#) में बताए गए से इतर कृषि ऋणों के संबंध में एनपीए की पहचान उसी तरह की जाएगी जिस तरह गैर-कृषि अग्रिमों के मामलों में की जाती है।
- (v) अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जानेवाली कोई भी राशि जो 90 से अधिक दिनों के लिए अतिदेय रही हो।
- (vi) इसके अलावा, इस मास्टर परिपत्र के कुछ विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में एक खाते को एनपीए के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पैराग्राफ 2.2.7 और [अनुबंध 4](#) में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण शामिल हैं।

2.1.2 (ए) ऋण की चुकौती के लिए सटीक देय तिथियां, चुकौती की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज के बीच ब्रेकअप, एसएमए/एनपीए वर्गीकरण तिथियों के उदाहरण आदि को ऋण समझौते में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, तथा इन्हें ऋण स्वीकृत करते समय एवं ऋण की सम्पूर्ण चुकौती होने तक स्वीकृति-शर्तों / ऋण समझौते में होनेवाले बदलावों, यदि कोई हों, के समय भी उधारकर्ता को बताया जाना चाहिए।

2.1.2 (बी) क्रेडिट कार्ड खाता

- (i) क्रेडिट कार्ड खातों में, खर्च की गई राशि को मासिक विवरण के माध्यम से पुनर्भुगतान के लिए एक निश्चित देय तिथि के साथ कार्ड उपयोगकर्ताओं को बिल किया जाता है। बैंक कार्ड उपयोगकर्ताओं को या तो पूरी राशि या उसके एक अंश, अर्थात्, न्यूनतम देय राशि, का नियत तारीख पर भुगतान करने का विकल्प देते हैं और शेष राशि को बाद के महीनों के बिलिंग चक्र में रोल-ओवर कर देते हैं।
- (ii) यदि विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि का सम्पूर्ण भुगतान उसमें उल्लिखित देय तिथि से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड खाते को गैर-निष्पादित आस्ति माना जाएगा।
- (iii) जब कोई क्रेडिट कार्ड खाता तीन दिनों से अधिक समय तक 'पिछला देय' रहता है तो ही बैंक उस क्रेडिट कार्ड खाते को क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 'पिछला देय' के रूप में रिपोर्ट करेंगे या कोई दंडात्मक शुल्क, जैसे देर से भुगतान हेतु शुल्क, आदि, यदि कोई हो, लगाएंगे। हालांकि, "पिछला देय" के दिनों की संख्या और देर से भुगतान हेतु शुल्क की गणना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में उल्लिखित भुगतान देय तिथि से ही की जाएगी।

2.1.3 कृषि संबंधी अग्रिम:

- (i) सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में, जैसा कि [अनुबंध 1](#) में निर्दिष्ट है:
 - (ए) अल्पकालिक फसलों के लिए दिया गया कोई ऋण तब एनपीए माना जाएगा जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय हो गया हो।
 - (बी) दीर्घकालिक फसलों के लिए दिया गया कोई ऋण तब एनपीए माना जाएगा जब मूलधन की किस्त या उसपर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय हो गया हो।

- (ii) इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजनों के लिए "दीर्घकालिक" फसले वे फसले होंगी जिनका फसली मौसम एक वर्ष से अधिक है। जो फसलें दीर्घकालिक नहीं हैं, वे "अल्पकालिक" फसलें मानी जाएंगी।
- (iii) प्रत्येक फसल के लिए फसली मौसम का अभिप्राय उगाई गई फसल की कटाई तक की अवधि से है जो प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।
- (iv) किसी कृषक द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर उपर्युक्त एनपीए मानदंड उसके द्वारा लिए गए कृषि मीयादी ऋणों पर भी लागू होंगे।
- (v) ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता के साथ नकदी प्रवाह/ तरलता के आधार पर व्यावहारिक पुनर्भुगतान सूची तय की जाए।

2.1.4 एनपीए के रूप में अस्तियों का वर्गीकरण सतत आधार पर किया जाना चाहिए

- (i) प्रणाली तंत्र द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनपीए की पहचान निरंतर आधार पर की जाती है और तिमाही/वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही खातें एनपीए में बदल जाते हैं, इस परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाए। बैंकों को प्रत्येक कैलेंडर तिमाही अर्थात् मार्च/ जून/ सितंबर/ दिसंबर की स्थिति के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान करना चाहिए ताकि संबंधित तिमाहियों के लिए आय और व्यय खाता तथा समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा तथा तुलनपत्र एनपीए के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाएं।
- (ii) उधारकर्ता खातों को बैंकों द्वारा उनकी देय तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा, भले ही ऐसी प्रक्रियाओं को करने का समय कुछ भी हो। इसी तरह, उधारकर्ता खातों का एसएमए³ के साथ-साथ एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए दिन की समाप्ति प्रक्रिया चलती है। दूसरे शब्दों में, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

उदाहरण : यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2022 है, और बैंक द्वारा इस तिथि के लिए दिन की समाप्ति की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2022 होगी। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2022 को दिन की समाप्ति की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2022 होगी।

इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए -2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

³ पैराग्राफ 2.1.6 का संदर्भ लें।

- (iii) 31 मार्च, 2020 को रु.2000 करोड़ या उससे अधिक की कुल संपत्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को 30 जून, 2021 से प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण⁴ लागू करना आवश्यक था।
- (iv) 31 मार्च, 2020 को रु.1000 करोड़ या उससे अधिक लेकिन रु.2000 करोड़ से कम की कुल आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचे पर दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के परिपत्र डीओएस.सीओ/सीएसआईटीई/बीसी.4083/31.01.052/2019-20 के संदर्भ में स्तर III या स्तर IV के तहत स्वयं का मूल्यांकन किया है उन्हें 30 सितंबर, 2021 से प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण⁴ को लागू करना आवश्यक था।
- (v) वित्तीय वर्ष 2020-2021 या उसके बाद के वित्तीय वर्ष के अंत में उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंक संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण को लागू करेंगे। प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, ऐसे शहरी सहकारी बैंक पायलट/समानांतर संचालन कर सकते हैं और लागू आरबीआई निर्देशों के अनुपालन में आस्ति वर्गीकरण की सटीकता/अखंडता के परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियत तिथि से वर्गीकरण प्रणाली-आधारित आस्ति के कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं।
- (vi) उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को भी अपने हित में प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण को स्वेच्छा से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2.1.5 मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना

- बैंक 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से ऋण क्षति की पहचान करने के लिए 90 दिनों के मानदंड को अपनाने के संदर्भ में मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना आरंभ करें और इसके फलस्वरूप उधारकर्ताओं के खातों की बारीकी से निगरानी करें।
- कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने/ चक्रवृद्धि करने की वर्तमान प्रथा फसली मौसमों से सहबद्ध होगी एवं मासिक आधार ब्याज लगाने से संबंधित अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे।
- बैंक ब्याज लगाते समय उधारकर्ताओं के साथ तरलता और कटाई/ विपणन मौसमों के आधार पर तय की गई तारीख/ तारीखों को ध्यान में रखें और ब्याज को चक्रवृद्धि तभी करें जब अल्पावधि फसलों और कृषि सहायक कार्यकलापों से संबंधित ऋण/ किस्त अतिदेय हो गई हो।

⁴ प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण का अर्थ होगा, आस्ति वर्गीकरण (डाउनग्रेडिंग के साथ-साथ अपग्रेड करना) जो बैंक के सीबीएस/कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा निरंतर आधार पर, प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों/दिशानिर्देशों के आधार पर स्वचालित तरीके से किया जाता है।

2.1.6 विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकरण और बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार को बड़े एक्सपोजर की रिपोर्टिंग (सीआरआईएलसी) - शहरी सहकारी बैंक

एसएमए एक ऐसा खाता है जो उधारकर्ता अपने ऋण दायित्वों को समय पर पूरा करने में चूक करने के परिणामस्वरूप प्रारंभिक दबाव के संकेत देता है, यद्यपि खाते को अभी तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो। चूंकि ऐसे खातों की शीघ्र पहचान बैंकों को एनपीए में उनकी संभावित गिरावट को रोकने के लिए समय पर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाती है, सभी शहरी सहकारी बैंक ऋण/अग्रिम खातों को एसएमए के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत करेंगे:

एसएमए उप-श्रेणी	वर्गीकरण का आधार पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मूलधन या ब्याज भुगतान या अन्य कोई राशि अवधि के लिए अतिदेय
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए -1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

नकद ऋण जैसी परिक्रामी ऋण सुविधाओं के मामले में, एसएमए उप-श्रेणियाँ इस प्रकार होंगी:

एसएमए उप-श्रेणी	वर्गीकरण का आधार की अवधि के लिए बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक की अवधि के लिए लगातार बनी रहती है
एसएमए -1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

(ii) एसएमए श्रेणियों में उधारकर्ता खातों के वर्गीकरण पर उपर्युक्त निर्देश सभी ऋणों के लिए लागू होते हैं, जिसमें फसल के मौसम-आधारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित कृषि अग्रिमों को छोड़कर खुदरा ऋण भी शामिल हैं, चाहे एक्सपोजर का आकार कुछ भी हो।

(iii) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), जिनकी कुल परिसम्पत्तियाँ रु.500 करोड़ और उससे अधिक हैं, रु.5 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले सभी उधारकर्ताओं के संबंध में, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के रूप में खाते के वर्गीकरण की सूचना सहित क्रेडिट की जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट करेंगे। कुल एक्सपोजर में उधारकर्ता पर निवेश एक्सपोजर सहित सभी निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर शामिल होंगे।

(iv) रु.500 करोड़ और उससे अधिक की कुल आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को 31 दिसंबर, 2019 से तिमाही आधार पर सीआरआईएलसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। विस्तृत परिचालन निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग द्वारा 'बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) - यूसीबी' को बड़े एक्सपोजर की रिपोर्टिंग पर [दिनांक 16 जनवरी, 2020 के परिपत्र डीओएस.ओएस एमओएस.सं.4633/33.05.018/2019-20](#) के माध्यम से जारी किए गए हैं।

(v) शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को बड़े क्रेडिट पर सूचना/डेटा प्रस्तुत करते समय डेटा सटीकता और अखंडता के बारे में अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, ऐसा न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

2.2 एनपीए के रूप में खातों का निरूपण

2.2.1 वसूली का अभिलेख

i. किसी आस्ति का एनपीए माना जाना वसूली अभिलेख के आधार पर होना चाहिए। बैंकों को किसी अग्रिम को, पर्याप्त आहरण अधिकार की अनुपलब्धता, बकाया शेष सीमा से अधिक होने, स्टॉक विवरणों का प्रस्तुत न किया जाना और नियत तारीख को सीमा का नवीकरण न कर लेना आदि जैसी कुछ मौजूदा अस्थायी खामियों के कारण एनपीए नहीं मान लेना चाहिए। जहां हानि होने की संभावना हो, या अग्रिमों की वसूली संदिग्ध हो, वहां आस्तियों को एनपीए माना जाना चाहिए।

ii. किसी ऋण सुविधा को ऊपर पैरा 2.1 में बताए गए मानदंडों के अनुसार एनपीए माना जाना चाहिए। तथापि, जहां उधारकर्ता द्वारा किसी बैंक से प्राप्त किए गए में सभी ऋण सुविधाओं से संबन्धित सम्पूर्ण अतिदेय राशि को उचित स्रोतों (अतिरिक्त सुविधा मंजूर नहीं करके या खातों के बीच निधियां अंतरित नहीं करके) से चुकता करके विनियमित कर दिया गया है, वहां खातों को 'मानक' आस्ति श्रेणी में उन्नयित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि खाते बाद में नियमित रूप में रहे और तुलनपत्र की तारीख को या उससे पहले की गई एकमात्र जमा प्रविष्टि जो ब्याज या मूलधन के किस्त की अतिदेय राशि को समाप्त करती है, उसे खाते की मानक आस्ति माने जाने के लिए एकमात्र मानदंड के रूप में नहीं माना जाए।

2.2.2 एनपीए का निरूपण – उधारकर्तावार, न कि सुविधावार

i. किसी उधारकर्ता के संबंध में जिसने किसी बैंक से एक से अधिक सुविधाएं ले रखी हैं, बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं को एनपीए माना जाएगा न कि किसी सुविधा विशेष को या उसके किसी भाग को जो कि अनियमित/एनपीए हो गया हो।

ii. तथापि, सहायता संघ अग्रिमों या बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत वित्तपोषण के संबंध में प्रत्येक बैंक आहरण खातों को अपने वसूली अभिलेख और अग्रिमों की वसूली को प्रभावित करने वाले पहलुओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक बैंक उधारकर्ता के एनपीए वर्गीकरण के लिए उपरोक्त (i) के सिद्धांत का पालन करेगा।

2.2.3 कृषि अग्रिम - प्राकृतिक आपदाओं के कारण चुकौती करने में चूक

i. जहाँ प्राकृतिक आपदाएं कृषि उधारकर्ताओं की चुकौती की क्षमता को बाधित करती हैं, वहाँ बैंक राहत उपायों के रूप में स्वयं निम्नलिखित कार्रवाई निश्चित करें ;

(ए) अल्पावधि उत्पादन ऋण को मीयादी - ऋण में परिवर्तित करें या चुकौती अवधि को पुनर्निर्धारित करें, और

(बी) नए अल्पावधि ऋण मंजूर करें।

ii. संपरिवर्तन या पुनर्निर्धारण के ऐसे मामलों में मीयादी ऋणों व नए अल्पावधि ऋणों को वर्तमान देय राशि माना जाए और उन्हें अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। अतः इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण आशोधित शर्तों के द्वारा निर्धारित होगा और इन्हें कृषि अग्रिमों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए लागू वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत एनपीए माना जाएगा।

2.2.4 स्टाफ को आवास ऋण

स्टाफ सदस्यों को प्रदत्त आवास ऋण या उसी प्रकार के अग्रिमों के मामले में जहां ब्याज मूलधन की वसूली के बाद देय होता है, वहाँ ब्याज को पहले माह से अतिदेय नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे ऋणों/ अग्रिमों को एनपीए तभी माना चाहिए जब संबंधित देय तारीख को मूलधन की किस्त या ब्याज का भुगतान करने में चूक हुई हो।

2.2.5 केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण सुविधाएं

i. केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को अतिदेय हो जाने पर भी एनपीए नहीं माना जाना चाहिए।

ii. सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए जाने से दी गई यह छूट आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं है।

iii. 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश पर भी आस्ति-वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड लागू होंगे बशर्ते बैंक को देय ब्याज और/या मूलधन अथवा बैंक को देय 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय अन्य कोई भी राशि, भले ही प्रतिभूति प्रभावी हुई हो या नहीं।

2.2.6 परियोजना वित्तपोषण

'परियोजना ऋण' का तात्पर्य है ऐसा कोई मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया है। सभी परियोजना ऋणों के मामले में बैंकों को ऋण मंजूर करते समय/वित्तीय बंदी (बहु. बैंकिंग अथवा सहायता संघीय व्यवस्था के मामले में) के समय वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तिथि (डीसीसीओ) अवश्य निर्धारित करनी चाहिए।

आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के प्रयोजन से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा जाए

- (i) इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण
- (ii) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण। विस्तृत ब्यौरे [अनुबंध 8](#) में दिए गए हैं।

औद्योगिक परियोजना के लिए दिए गए बैंक वित्त के मामले में जहाँ ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन उपलब्ध है, वहाँ ब्याज का भुगतान अधिस्थगन या उत्पादन पूर्व अवधि समाप्त होने पर ही देय होगा। अतः ब्याज की ऐसी राशि अतिदेय नहीं होती है और इसलिए ब्याज नामे लिखे जाने की तारीख के संदर्भ में वह

एनपीए नहीं होगी। यदि वह वसूली न गई हों तो, ब्याज के भुगतान की देय तारीख के बाद अतिदेय हो जाती हैं।

2.2.7 अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश नीचे दिए गए अनुसार हैं:

(ए) आस्ति वर्गीकरण मानदंड

2.2.7.1 अग्रिमों की पुनर्रचना निम्नलिखित चरणों में हो सकती है:

- (i.) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;
- (ii.) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के 'अवमानक' वर्गीकरण के पहले;
- (iii.) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के 'अवमानक' या 'संदिग्ध' वर्गीकरण के बाद

2.2.7.2 पुनर्रचना के बाद 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत 'अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए।

2.2.7.3 पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियां पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चली जाएगी।

2.2.7.4 ऐसे सभी खाते जिन्हें पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 'विनिर्दिष्ट अवधि' के दौरान उनके 'संतोषजनक कार्य निष्पादन' देखने के बाद 'मानक' संवर्ग में वर्गोन्नत किये जाने के पात्र होंगे। [\(अनुबंध 5\)](#)

2.2.7.5 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्रचित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्रचना के पूर्व की चुकौती अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।

2.2.7.6 किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत पहला ब्याज/मूल ऋण राशि की चुकौती, इनमें जो भी पहले हो, देय होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक 'मानक आस्ति' माना जाएगा। परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्रचना के पहले 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के अंत में यदि पुनर्रचित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित ऋण है।

2.2.7.7 पैरा 2.2.7.25 के अंतर्गत विशेष विनियमन प्रावधान का लाभ उठाने वाले ऋण खाते पुनर्रचना के बाद पुनर्रचना के पहले का आस्ति वर्गीकरण स्तर पर ही रखे जाएंगे। 'निर्धारित समय सीमा' के दौरान

खाते में संतोष जनक सुधार नहीं होने की स्थिति में पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चली जाएगी।

2.2.7.8 यदि कोई पुनर्रचित आस्ति पुनर्रचना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्रचित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी। परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्रचित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्रचना पैकेज की शत के अनुसार ब्याज की पहली चुकौती या मूलधन की चुकौती, जो भी पहले देय हो, उस तारीख से एक वर्ष बाद मानक संवर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(बी) आय निर्धारण मानदंड

2.2.7.9 पैरा 2.2.7.6 और 2.2.7.22 के प्रावधानों के अधीन, 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों की ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए।

(सी) प्रावधानीकरण मानदंड

2.2.7.10 सामान्य प्रावधान

बैंक नीचे दिए गए पैराग्राफ 3 में वर्णित अनुसार निर्धारित श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे।

2.2.7.11 पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

"अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्रचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए। पुनर्रचना के पूर्व ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर प्रभारित की गई पुनर्रचना के पूर्व विद्यमान ब्याज दर तथा पुनर्रचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाए गए मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी।" पुनर्रचना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर पुनर्रचना के पश्चात् प्रभारित की गई ब्याज दर तथा पुनर्रचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाए गए मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी।"

2.2.7.12 कृपया नोट करें कि उपर्युक्त फॉर्मूला ब्याज दर चक्र के साथ ऋणों के वर्तमान मूल्यों में होनेवाली कमी के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करता है तथा भविष्य में उसका नियमित रूप से अनुपालन करना होगा।

2.2.7.13 साथ ही, इस बात को दोहराया जाता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता बैंकों की कार्रवाई के कारण होती है क्योंकि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुनर्संरचना किए जाने पर ऋण की वित्तीय रियायतों के स्वरूप की संविदागत शत में परिवर्तन होता है। ये प्रावधान एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाते के अस्तित्व वर्गीकरण से जुड़े हुए प्रावधानों से अलग हैं और ऋण की गुणवत्ता में ह्रास के कारण हुई अनर्जकता को प्रतिबिम्बित करते हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रावधान एक-दूसरे का स्थानापन्न नहीं हैं।

2.2.7.14 इस बात पर पुनः जोर दिया जाता है कि अग्रिमों की पुनर्संरचना संबंधी दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई सभी संशोधन यूनिटों के आर्थिक मूल्य को बनाए रखने के लिए बैंकों तथा उधारकर्ताओं को एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं और उन्हें अग्रिमों को सदाबहार रखने के एक साधन के रूप में न देखा जाए।

2.2.7.15 बैंक अपने वार्षिक तुलन-पत्रों में [अनुबंध – 6](#) के अनुसार प्रकटीकरण करेंगे।

2.2.7.16 कार्यशील पूंजी सुविधाओं के मामले में नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट घटक के उचित मूल्य में कमी की गणना ऊपर पैरा 2.2.7.11 के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें बकाया राशि या स्वीकृत सीमा में से उच्चतर राशि को मूल ऋण राशि तथा अग्रिम की अवधि को एक वर्ष माना जाना चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर में अवधि प्रीमियम एक वर्ष के लिए लागू होगा। मीयादी ऋण घटकों (कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण और निधिक ब्याज मीयादी ऋण) के उचित मूल्य की गणना वास्तविक नकदी प्रवाह के अनुसार तथा संबंधित मीयादी ऋण घटकों की परिपक्वता पर लागू अवधि प्रीमियम को डिस्काउंट फैक्टर में मानते हुए की जाएगी।

2.2.7.17 यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई प्रतिभूति ली जाती है तो प्रतिभूति की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा।

2.2.7.18 उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि बीपीएलआर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, बैंक प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

2.2.7.19 यदि विशेषज्ञता/समुचित संरचना के अभाव में छोटी/ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना बैंक के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में बैंक उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्चित खातों के मामले में जहां बैंक/बैंकों का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो वहाँ कुल एक्सपोज़र के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं।

2.2.7.20 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि के 100% है।

(डी) अदत्त ब्याज का 'निधित्व ब्याज मीयादी ऋण' (एफआईटीएल) ऋण अथवा इक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

2.2.7.21 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआईटीएल को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्व्यवस्थित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआईटीएल के आस्ति वर्गीकरण में अगली गतिविधि भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

2.2.7.22 आय-निर्धारण मानदंड

(i) इन लिखतों से प्राप्त आय यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(ii) अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआईटीएल के संबंध में "फुटकर देयता खाता (ब्याज का पूंजीकरण)" शीर्ष वाले खाते में तदनुरूपी जमा होनी चाहिए।

(iii) एफआईटीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण/ इक्विटी लिखतों की बिक्री/मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाएगा और उसी समय 'फुटकर देयताएं खाते (ब्याज का पूंजीकरण)' में शेष को कम किया जाएगा।

(उ) आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवस्था

2.2.7.23 इस संबंध में पैरा 2.2.7.1 से 2.2.7.8 में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन के अनुसार महत्वपूर्ण व्यावसायिक काय में लगे हुए उधारकर्ताओं को नीचे पैरा 2.2.7.29 में दी गई कुछ शत के अनुपालन के अधीन आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार उपलब्ध होगा। इस तरह का व्यवहार अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं है:

(i) उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत अग्रिम जिसमें शेयर/ बांड/ डिबेंचर आदि की जमानत पर व्यक्तिगत अग्रिम शामिल है

(ii) व्यापारियों को अग्रिम

2.2.7.24 उपर्युक्त दो श्रेणियों के खातों तथा पैरा 2.2.7.28 में उल्लिखित शत का अनुपालन न करने वाले अन्य खातों का आस्ति वर्गीकरण इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 2.2.7.1 से 2.2.7.8 में वर्णित विवेकपूर्ण मानदंडों की परिधि में आएगा।

(ऊ) विशेष विनियामक ढांचे के तत्व

2.2.7.25 विशेष विनियामक ढांचे में दो निम्नलिखित घटक हैं:

- (i) पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन
- (ii) पुनर्रचित खाते के आस्ति वर्गीकरण को पुनर्रचना पूर्व आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में ही रखना

2.2.7.26 पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

अग्रिम की पुनर्रचना का आवेदन बैंक के पास लंबित होने की अवधि के दौरान, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होना जारी रहेगा। आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया महज आवेदन विचाराधीन होने के कारण रुकनी नहीं चाहिए। तथापि, पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में बैंक यदि अनुमोदित पैकेज आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर कार्यान्वयित करता है तो आस्ति वर्गीकरण की स्थिति बैंक का पुनर्रचना आवेदन प्राप्त होने के समय की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को उस स्तर पर पुनः स्थापित किया जाएगा।

2.2.7.27 आस्ति वर्गीकरण लाभ

पैरा 2.2.7.1 से 2.2.7.8 में निर्धारित विवेकपूर्ण ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त निम्नलिखित शत के अनुपालन के अधीन:

- (i) पैरा 2.2.7.2 के आशोधन में पुनर्रचना के बाद किसी मौजूदा 'मानक आस्ति' का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- (ii) पैरा 2.2.7.3 के संशोधन में निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने पर निर्दिष्ट अवधि के दौरान अवमानक/ संदिग्ध खातों के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा पुनर्रचना करने पर कम नहीं होगा।

2.2.7.28 तथापि, ये लाभ निम्नलिखित शत के अनुपालन के अधीन उपलब्ध होंगे:

- I) बैंक को प्राप्य राशियां [अनुबंध 5](#) में परिभाषित किए गए अनुसार 'पूरी तरह प्रतिभूत' हैं। मूर्त जमानत द्वारा पूरी तरह प्रतिभूत होने की शर्त निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी:
 - (ए) एसएसआई उधारकर्ता जहां रु.25 लाख तक की राशि बकाया है।
 - (बी) बुनियादी सुविधा परियोजनाएं बशर्ते इन परियोजनाओं से अर्जित नकदी प्रवाह अग्रिम की चुकौती के लिए पर्याप्त हैं, वित्तपोषण करने वाले बैंकों के पास नकदी प्रवाहों के निलंबन के लिए उचित प्रणाली स्थापित है और उनके पास इन नकदी प्रवाहों पर प्रथम दावा करने का स्पष्ट तथा कानूनन अधिकार है।
 - (सी) डब्ल्यूसीटीएल मूल देय राशि के अनियमित हिस्से को आहरण शक्ति पर परिवर्तित करके बनाया गया है, बशर्ते कि डब्ल्यूसीटीएल के अप्रतिभूत हिस्से के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं:

* मानक आस्तियाँ: 20%

* अवमानक आस्तियाँ: पहले वर्ष के दौरान 20% तथा उसके बाद विनिर्दिष्ट अवधि (पुनर्रचना की शत के अंतर्गत पहली चुकौती देय होने के बाद एक वर्ष) तक प्रत्येक वर्ष उसमें 20% की वृद्धि

* यदि विनिर्दिष्ट अवधि के बाद खाता स्तरोन्नयन के लिए पात्र नहीं है तो आरक्षित हिस्से के लिए 100% प्रावधान

(ii) यदि वह बुनियादी सुविधा देने वाले कार्य कर रही है तो यूनिट 10 वर्ष की अवधि में अर्थक्षम होती है और अन्य इकाइयों के मामले में 7 वर्ष की अवधि में।

(iii) पुनर्चित अग्रिम की चुकौती की अवधि जिसमें अधिस्थगन यदि कोई हो, शामिल हैं, उसमें बुनियादी सुविधाएं अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक का निदेशक मंडल अग्रिमों की सुरक्षा तथा सलामती के लिए 15 वर्ष तक की अधिकतम अवधि निर्धारित करें।

(iv) प्रवर्तकों का त्याग तथा उनके द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त निधियां बैंक के त्याग की कम-से-कम 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

(v) अर्थव्यवस्था तथा उद्योग से संबंधित बाहरी कारणों का यूनिट पर असर पड़ने के मामले को छोड़कर अन्य सभी में प्रवर्तक ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी हो।

(vi) [अनुबंध 5](#) के पैरा (iv) में परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन पुनर्चना 'पुनरावृत्त पुनर्चना' नहीं हैं।

(जी) प्रकटीकरण

2.2.7.29 बैंकों को अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्रों में 'लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत पुनर्चित अग्रिमों की संख्या तथा राशि के संबंध में तथा [अनुबंध - 6](#) में उल्लिखित पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की मात्रा संबंधी जानकारी भी प्रकट करनी चाहिए।

(एच) उदाहरण

2.2.7.30 पुनर्चित खातों के आस्ति वर्गीकरण से संबंधित कुछ उदाहरण [अनुबंध -7](#) में दिए गए हैं।

2.2.7.31 निम्नलिखित परिपत्रों के तहत लागू किए गए कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन होगा, जिसमें विवेकपूर्ण आवश्यकताएं शामिल हैं, जिसमें निर्दिष्ट हैं:

- (i) दिनांक 06 अगस्त 2020 को कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा पर [विवि.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21](#) के साथ पठित दिनांक 07 सितंबर 2020 को कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड पर [विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21](#);
- (ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन पर [दिनांक 06 अगस्त 2020 को जारी विवि.सं.बीपी.बीसी/4 /21.04.048/2020-21](#);

- (iii) समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान पर [दिनांक 05 मई 2021 को विवि.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021-22](#) के साथ पठित समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोजर के लिए सीमा में संशोधन पर [दिनांक 04 जून 2021 को जारी विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22](#)”;
- (iv) समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान पर [दिनांक 05 मई 2021 को विवि.एसटीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22](#) के साथ पठित समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोजर के लिए सीमा में संशोधन पर [दिनांक 04 जून 2021 को जारी विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22](#)”;
- (v) उपरोक्त को समय-समय पर अद्यतन किए गए कोविड-19 संबंधित तनाव के समाधान रूपरेखा पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ पढ़ा जाएँ।

2.2.7.32 [दिनांक 01 जनवरी 2019 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/18 /21.04.048/2018 - 2019](#)” और [दिनांक 11 फरवरी 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/34 /21.04. 048/ 2019 -2020](#) के अंतर्गत पुनर्चित एमएसएमई खाते उसमें विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

2.2.8 अन्य अग्रिम

- (i) मीयादी जमाराशियाँ, अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और बीमा पॉलिसियों को एनपीए नहीं माना जाना चाहिए भले ही उन पर ब्याज 90 से अधिक दिनों के लिए अदा न किया गया हो, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।
- (ii) बैंक उधारकर्ता की आय अर्जन करने और चुकौती करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए गैर - कृषि प्रयोजनों के लिए स्वर्ण ऋण की चुकौती के लिए मासिक/ तिमाही किस्तें तय करें और ऐसे स्वर्ण ऋणों को एनपीए तभी मानें जब मूलधन की किस्त और/ या उस पर ब्याज 90 से अधिक दिनों से बकाया हो।
- (iii) कृषि प्रयोजनों के लिए दिए गए स्वर्ण ऋणों के संबंध में ब्याज उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वार्षिक अंतरालों पर लगाया जाना आवश्यक है और भुगतान फसल की कटाई के समय किया जाना चाहिए। तदनुसार ऐसे अग्रिमों को एनपीए तभी माना जाएगा जब मूलधन की किस्त और/ या ब्याज देय तारीख के बाद अतिदेय हटाया गया हो।

2.2.9 एनपीए माने गए निवेश पर आय का निर्धारण

निवेश भी आय-निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं। बैंक किसी भी ऐसी प्रतिभूति के संबंध से भलें ही उसे किसी भी श्रेणी में शामिल किया गया हो, उपचित आधार पर आय दर्ज न करें, जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से अधिक दिनों से बकाया हो।

2.2.10 रिज़र्व बैंक को एनपीए की रिपोर्टिंग

बैंक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वर्ष की समाप्ति से दो माह के अंदर अनुबंध 2 में दिए गए प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को एनपीए के आंकड़े सूचित करें।

2.2.11 एसएमए/एनपीए पर उपभोक्ता शिक्षण

उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से, बैंक अपनी वेबसाइट पर दिन की समाप्ति की प्रक्रिया के विशिष्ट संदर्भ में अतिदेय तिथि, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन की अवधारणाओं को उदाहरण के साथ समझाते हुए उपभोक्ता शिक्षा सामग्री डालेंगे। बैंक ऐसे उपभोक्ता शिक्षा साहित्य को अपनी शाखाओं में पोस्टरों और/या अन्य उपयुक्त मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित करने पर भी विचार कर सकते हैं। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके फ्रंट-लाइन अधिकारी ऋणों की स्वीकृति/वितरण/नवीकरण के समय, उधारकर्ताओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें।

3. आस्ति वर्गीकरण

3.1 वर्गीकरण

3.1.1 बैंक अपनी आस्तियों को निम्नलिखित स्थूल समूहों में वर्गीकृत करें;

- (i) मानक आस्तियां
- (ii) अव-मानक आस्तियां
- (iii) संदिग्ध आस्तियां
- (iv) हानि आस्तियां

3.2 परिभाषा

3.2.1. मानक आस्तियां

मानक आस्ति वह है जो कोई समस्या प्रस्तुत नहीं करती और जो कारोबार से संबंध में सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वहन नहीं करती। ऐसी आस्ति एनपीए नहीं होनी चाहिए।

3.2.2. अवमानक आस्तियां

31 मार्च 2005 से, किसी आस्ति को तब अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रही हो। इस प्रकार के मामलों में ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता की चालू शुद्ध आय अथवा रखी गई जमानत का वर्तमान मूल्य बैंकों को देय राशि की वसूली को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में ऐसी आस्तियों में सुपरिभाषित ऋण कमजोरियां निहित होंगी जो ऋणों की वसूली को खतरे में डाल देती हैं और इस बात की सुस्पष्ट संभावना रहती है कि यदि विसंगतियों को ठीक नहीं किया गया तो बैंकों को घाटा उठाना पड़ेगा।

3.2.3. संदिग्ध आस्तियां

31 मार्च 2005 से किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब वह 12 माह तक एनपीए आस्ति रही हो। संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत ऋण में वे सभी कमजोरियां निहित होती हैं जो अवमानक के रूप में वर्गीकृत की गई आस्तियों में होती हैं। इसके अलावा, इनमें और विशिष्ट बात यह होगी कि वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, शत और मूल्यों के आधार पर ये कमजोरियां संपूर्ण, वसूली को या परिसमापन को अत्यधिक संदेहास्पद और अकल्पनीय बना देती हैं।

3.2.4 हानि आस्तियां

हानि आस्ति वह है जहाँ हानि बैंक द्वारा या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा सहकारिता विभाग द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित की गई हो, परंतु राशि पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से बट्टे खाते न डाली गई हो। दूसरे शब्दों में, ऐसी आस्ति को वसूली न होने योग्य माना जाए और वह इतने कम मूल्य की हो कि बैंक योग्य आस्ति के रूप में उसके बने रहने में कोई औचित्य न हो, भले ही उसमें निस्तारण मूल्य या वसूली मूल्य निहित हो।

3.3 आस्ति- वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

3.3.1 मूल अवधारणा

- (i) मोटे तौर पर कहा जाए, तो उक्त श्रेणी में आस्ति का वर्गीकरण सुपरिभाषित ऋण कमजोरियों की मात्रा और देय राशियों की वसूली के लिए संपार्श्विक जमानत पर किस हद तक निर्भर है, इसे विचार में लेते हुए करना चाहिए।
- (ii) ऐसे खातों के मामले में जहाँ जमानत के मूल्य हास के कारण तथा ऋण कर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ियों जैसे अन्य कारकों की मौजूदगी की वजह से वसूली न होने की संभावना उत्पन्न हो गई हो वहाँ बैंक के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि वे पहले उन्हें अव-मानक के रूप में वर्गीकृत करें और बाद में खातों के अनर्जक बनने की तारीख से 12 माह की समाप्ति पर उन्हें संदिग्ध आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करें। ऐसे खातों को उनके एनपीए आस्ति बने रहने की अवधि पर विचार किए बिना सीधे ही संदिग्ध अथवा हानिवाली आस्तियों के रूप में, जो भी उचित हो, वर्गीकृत किया जाए।

3.3.2 मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत प्रदान किए गए अग्रिम

- (i) बैंकों को ऐसे किसी भी अग्रिम के वर्गीकरण को जिसके संबंध में शत को सौदा वार्ता द्वारा पुनः तय किया गया है, तब तक अपग्रेड करने की अनुमति नहीं है जब तक कि सौदा वार्ता द्वारा पुनः तय की गई शत का एक वर्ष की अवधि के दौरान संतोषजनक रूप से पालन न किया गया हो। मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई को मंजूर की गई मौजूदा ऋण सुविधाएं जबकि अवमानक या संदिग्ध के रूप में जैसी भी स्थिति हो, वर्गीकृत होती रहेंगी, तथापि, पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत मंजूर की गई अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद लागू होंगे।

- (ii) इसी तरह की रियायत उन लघु औद्योगिक इकाइयों के संबंध में लागू होंगी जिन्हें बीमार के रूप में बैंकों द्वारा स्वयं पहचाना गया है और जहां पुनर्वास पैकेज/ नर्सिंग कार्यक्रम बैंकों द्वारा स्वयं या सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

3.3.3 आस्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आंतरिक प्रणाली

- (i) बैंक ऊपर पैरा 2.1.4 में उल्लिखित प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा का पालन करें।
- (ii) बैंक, जिन्हें पैरा 2.1.4 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रणाली-आधारित आस्ति वर्गीकरण को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले खातों के संबंध में एनपीए की पहचान में देरी या स्थगित करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। बैंक यह तय करने के लिए एक न्यूनतम कट-ऑफ पॉइंट तय कर सकते हैं कि उनके संबंधित व्यावसायिक स्तरों के आधार पर एक उच्च मूल्य वाला खाता क्या होगा। कट-ऑफ प्वाइंट पूरे लेखा वर्ष के लिए वैध होना चाहिए।
- (iii) उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी और सत्यापन स्तर बैंक द्वारा तय किए जा सकते हैं।
- (iv) प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कारण से आस्ति वर्गीकरण में संदेह का निपटान निर्दिष्ट आंतरिक चैनलों के माध्यम से उस तारीख से एक महीने के भीतर किया जाता है जिस दिन खाते को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया होगा।
- (v) बैंकों को चाहिए कि वे ऋण हानि की पहचान के लिए अनुदेशों का ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित करें और अधिकारियों के व्यवहार में होने वाली गड़बड़ी को गंभीरता से लें।
- (vi) जवाबदेही तय करने के लिए आरबीआई गैर-अनुपालन के कारण उत्पन्न होने वाले विचलन की पहचान करना जारी रखेगा। जहां वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जानबूझकर गैर-अनुपालन किया गया है और अच्छी तरह से प्रलेखित है, आरबीआई मौद्रिक दंड लगाने सहित निवारक कार्रवाई शुरू करेगा।

4. आय निर्धारण

4.1 आय निर्धारण नीति

- 4.1.1. आय निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ और वसूली अभिलेख पर आधारित होनी चाहिए। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से प्राप्त आय को उपचित आधार पर नहीं माना जाता है लेकिन उसे आय के रूप में तभी दर्ज किया जाता है जब वह वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। अतः बैंक सभी अनर्जक आस्तियों पर ब्याज न लगाएं तथा उनको आय खातों में न लें।
- 4.1.2. तथापि, मीयादी जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, किसान विकास पत्रों और बीमा पॉलीसियों की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज को नियत तारीख को आय खातों में लें सकते हैं, बशर्ते, खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।
- 4.1.3. बकाया ऋणों की पुनः सौदावार्ता अथवा पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा अर्जित फीस और कमीशन को पुनः सौदा वार्ता द्वारा तय की गई/ पुनर्निर्धारित की गई ऋण विस्तार अवधि के दौरान उपचित आधार पर वसूल किया जाना चाहिए।

- 4.1.4. यदि सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम 90 दिनों से अधिक 'अतिदेय' बने रहते हैं, तो ऐसे अग्रिमों पर ब्याज को तब तक आय खाते में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि ब्याज वसूल न हो जाए। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के गारंटीकृत खातों के मामलों में लागू होगा।
- 4.1.5. उन ऋणों के मामले में जहां ब्याज की चुकौती के लिए अधिस्थगन प्रदान किया गया है, बैंक उन खातों के लिए ब्याज आय को उपचय आधार पर मान्य कर सकते हैं जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी है। इसका मूल्यांकन इस मास्टर परिपत्र के [अनुबंध-5](#) के क्रमांक सं. (iii) में प्रदान किए गए 'पुनर्गठित खातों' की परिभाषा के अनुसार किया जाएगा।

4.2 एनपीए हो जाने वाले खातों पर आय का प्रत्यावर्तन

- 4.2.1. खरीद और भुनाए गए बिलों सहित यदि कोई अग्रिम एनपीए हो जाता है, तो उपचित और आय खाते में जमा की गई ब्याज को यदि उसकी वसूली नहीं होती है, तो प्रतिवर्ती किया जाना चाहिए या उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। यह सरकार द्वारा गारंटीकृत उन खातों पर भी लागू होंगे 90 दिनों से अधिक अतिदेय बने रहते हैं।
- 4.2.2. हालाँकि, यदि ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन के साथ ऋण (ऋण की मंजूरी के समय अनुमत) अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद एनपीए बन जाता है, तो इस तरह की अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के अनुरूप पूंजीकृत ब्याज, यदि कोई हो, को प्रतिवर्ती करने की आवश्यकता नहीं है।
- 4.2.3. एनपीए के संबंध में, शुल्क, कमीशन और इसी तरह की आय जो अर्जित की गई है, वर्तमान अवधि में अर्जित करना बंद कर देना चाहिए और पिछली अवधि के संबंध में वापस ले लिया जाना चाहिए, यदि वसूल न किया गया हो।
- 4.2.4. उपकरण पट्टे पर देने वाले बैंकों को विवेकपूर्ण लेखा मानकों का पालन करना चाहिए। पट्टा किराया में दो तत्व शामिल हैं - एक वित्त प्रभार (यानी ब्याज प्रभार) और आस्ति की लागत की वसूली के लिए प्रभार। केवल ब्याज घटक को ही आय खाते में लिया जाना चाहिए। संपत्ति के एनपीए बनने से पहले आय खाते में लिया गया ऐसा ब्याज घटक, यदि उगाही नहीं किया गया है तो उसे प्रत्यावर्त कर देना चाहिए या प्रावधान किया जाना चाहिए।

4.3 शेयरों और डिबेंचरों में निवेश पर आय को बही दर्ज करना

- 4.3.1 यूटीआई की यूनिटों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पर आय को बही दर्ज करने के लिए विवेकपूर्ण प्रथा के अनुसार और बैंकों में एकसमान लेखाकरण प्रथा को लाने के उद्देश्य से ऐसी आय को नकदी आधार पर, न कि उपचित आधार पर बही दर्ज किया जाना चाहिए।
- 4.3.2 तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बाँडों, जहां लिखतों पर ब्याज दर पूर्वनिर्धारित होती है, वहाँ आय को उपचित आधार पर बही दर्ज किया जाना चाहिए, बशर्ते ब्याज नियमित रूप से चुकता की जाती हो और बकाया न हो।

4.4 एनपीए की आंशिक वसूली

एनपीए पर वसूली गई ब्याज को आय खाते में लिया जाए, बशर्ते ब्याज के प्रति खातों में दर्ज जमा संबंधित उधारकर्ता को मंजूर की गई नई/ अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हुई हों।

4.5 ब्याज लगाना

- 4.5.1. एनपीए के मामले में, विवेकपूर्ण मानदंड के रूप में, अनुवर्ती तिमाहियों में उपचित ब्याज की राशि को उक्त खाते में नामे दर्ज करने और उपचित ब्याज की राशि को बैंक की आय के रूप में लेने का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उक्त ब्याज प्राप्त नहीं हुई है। एक साथ यह वांछनीय है कि ऐसी उपचित ब्याज को अलग से दर्शाया जाए या एक अलग खाते में रखा जाए ताकि ऐसे एनपीए खातों पर प्राप्य ब्याज को अभिकलित किया जाए और ऐसे ही दर्शाया जाए, भले ही उसे उक्त अवधि के लिए बैंक की आय के रूप में हिसाब में न लिया गया हो।
- 4.5.2. अर्जक आस्तियों के संबंध में उपचित ब्याज को आय खाते में लिया जाना चाहिए क्योंकि ब्याज के प्राप्त हो जाने की काफी प्रत्याशा होती है। तथापि, यदि किसी कारणवश इन मामलों में ब्याज वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं होती है और दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे उत्तरवर्ती वर्ष के अंत में एनपीए मान लिया जाता है तो आय में तत्संबंधी वर्ष में इस तरह ली गई ब्याज की राशि को प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए या उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।
- 4.5.3. अर्जक तथा अनर्जक दोनों प्रकार की आस्तियों के संबंध में उपचित ब्याज को हिसाब में लेने में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के मौजूदा उपबंधों के बावजूद निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाए जाएं :
- (i) अनर्जक अग्रिमों के संबंध में उपचित ब्याज उधार खातों में नामे नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उन्हें तुलन पत्र के 'संपत्ति तथा आस्ति' पक्ष में "ब्याज प्राप्त खाते" के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए तथा तत्संबंधी राशि को तुलन पत्र के "पूंजी तथा देयताएं" पक्ष में "अतिदेय ब्याज आरक्षित खाता" के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।
 - (ii) उधार खातों के संबंध में, जिन्हें अर्जक आस्तियों के रूप में लिया जाता है, उपचित ब्याज को वैकल्पिक रूप से उधार खाते में नामे किया जा सकता है तथा उन्हें ब्याज खाते में जमा दर्ज किया जा सकता है और उन्हें आय खातों में लिया जा सकता है। यदि उधार खाता के संबंध में उपचित ब्याज की वास्तव में वसूली नहीं हुई हो और खाता उत्तरवर्ती वर्ष के अंत में एनपीए हो गया हो तो तत्संबंधी वर्ष में उपचित तथा आय खाते में लिया गया ब्याज प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए या उसका पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।
 - (iii) अर्जक तथा अनर्जक दोनों प्रकार के अग्रिमों पर उपचित ब्याज के संबंध में की जाने वाली व्याख्यात्मक लेखाकरण प्रविष्टियाँ [अनुबंध 3](#) में दर्शाई गई हैं।
- 4.5.4. उपर्युक्त के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाए कि अतिदेय ब्याज निधि वास्तविक या बैंक से अर्जित आय से सृजित नहीं की गई है और इस प्रकार अतिदेय ब्याज निधि खाते में धारित राशि को बैंकों की 'प्रारक्षित निधि' या स्वाधिकृत निधियों के एक भाग के रूप में नहीं माना जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित तुलन पत्र में बैंकों से इस बात की विशेष रूप से अपेक्षा

की जाएगी कि वे 'पूँजी तथा देयताओं' पक्ष की मद 8 के अनुसार उस पक्ष पर 'अतिदेय ब्याज निधि' को एक विशेष मद के रूप में दर्शाएं।

5. प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड

5.1 ऋण तथा अग्रिमों पर प्रावधानीकरण हेतु मानदंड

- 5.1.1 विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक अस्तियों पर प्रावधान उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में दिए गए व्योरे के अनुसार निर्धारित श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए।
- 5.1.2 किसी खाते के वसूली के हिसाब से संदिग्ध होने, इस रूप में उसकी पहचान होने, प्रतिभूति के नकदीकरण के बीच के समय तथा बैंक को प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में इस बीच हुए ह्रास को ध्यान में रखते हुए बैंकों को नीचे दिए गए अनुसार हानि आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों तथा अवमानक आस्तियों के लिए प्रावधान करना चाहिए:

(i) हानि आस्तियाँ

सक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद तथा सहकारी सोसायटियाँ अधिनियम/नियमों उपबंधों के अनुसार संपूर्ण आस्तियों को बट्टे खाते डाल देना चाहिए। यदि किसी कारण से आस्तियों को बहियों में रखे जाने की अनुमति हो तो शत प्रतिशत बकाया के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ii) संदिग्ध आस्तियाँ

(ए) जिस सीमा तक बैंक के पास प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के भीतर दिया गया अग्रिम कवर नहीं होता है उतने अग्रिम का शत प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए। वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना चाहिए।

(बी) प्रतिभूति हिस्से के संबंध में प्रावधान प्रतिभूति हिस्से के 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दरों पर निम्नलिखित आधार पर किया जाए जो उस अवधि पर आधारित होगा जिसके लिए आस्ति संदिग्ध रही है:

सभी शहरी सहकारी बैंक

जिस अवधि के दौरान अग्रिम "संदिग्ध" श्रेणी में रहा है	प्रावधान संबंधी आवश्यकता
एक वर्ष तक	20 प्रतिशत
एक से तीन वर्ष	30 प्रतिशत
1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद तीन वर्ष से अधिक समय के लिए "संदिग्ध" के रूप में वर्गीकृत अग्रिम	100 प्रतिशत

(iii) अवमानक आस्तियाँ

कुल बकाया पर 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान ईसीजीसी गारंटी कवर और उपलब्ध प्रतिभूतियों को संज्ञान में लिए बिना किया जाना चाहिए।

(iv) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(ए) संशोधित विनियामक ढांचे⁵ के तहत वर्गीकृत टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 यूसीबी पर लागू होने वाले मानक आस्तियां प्रावधान मानदंड निम्नानुसार होंगे:

i. कृषि और एसएमई क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम, जो मानक हैं, उन पर पोर्टफोलियो के आधार पर बकाया निधि का 0.25 प्रतिशत एक समान प्रावधान लागू होगा।

ii. वाणिज्यिक अचल संपत्ति (सीआरई) क्षेत्र के लिए अग्रिम, जो मानक हैं, उन पर पोर्टफोलियो के आधार पर बकाया निधि का 1.00 प्रतिशत एक समान प्रावधान लागू होगा।

iii. वाणिज्यिक अचल संपत्ति – निवासी आवास (सीआरई-आरएच)⁶ क्षेत्र के लिए अग्रिम, जो मानक हैं, 0.75 प्रतिशत प्रावधान लागू होगा।

iv. अन्य सभी अग्रिमों के लिए, बैंक पोर्टफोलियो के आधार पर बकाया निधि का न्यूनतम 0.40 प्रतिशत एक समान सामान्य मानक आस्ति प्रावधान बनाए रखा जाएगा।

(बी) सभी यूसीबी के लिए मानक आस्ति प्रावधान आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

मानक संपत्ति की श्रेणी	प्रावधान की दर
कृषि और एसएमई क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25%
वाणिज्यिक अचल संपत्ति (सीआरई) क्षेत्र	1.00%
वाणिज्यिक अचल संपत्ति - निवासी आवास क्षेत्र (सीआरई-आरएच)	0.75%
ऊपर शामिल नहीं किए गए अन्य सभी ऋण और अग्रिम	0.40%

(सी) पूर्ववर्ती टीयर 1 यूसीबी, जो वर्तमान में 'अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों को शामिल नहीं किया गया है' पर 0.25% के मानक आस्ति प्रावधान बनाए रख रहे हैं, उन्हें 31 मार्च 2025 तक इस तरह के अग्रिमों

⁵ दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को जारी परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 के अनुसार

⁶ सीआरई-आरएच में सीआरई खंड के तहत आवासीय आवास परियोजनाओं (कैप्टिव खपत को छोड़कर) के लिए बिल्डरों/डेवलपर्स को ऋण शामिल होंगे। ऐसी परियोजनाओं में आमतौर पर गैर-आवासीय वाणिज्यिक अचल संपत्ति शामिल नहीं होनी चाहिए। हालांकि, कुछ वाणिज्यिक स्थान (जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, आदि) वाली एकीकृत आवास परियोजनाओं को भी सीआरई-आरएच के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि आवासीय हाउसिंग परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) परियोजना के 10% से अधिक न हो। यदि मुख्य रूप से आवासीय हाउसिंग परिसर में वाणिज्यिक क्षेत्र का एफएसआई 10% की सीमा से अधिक है, तो परियोजना ऋण को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए न की सीआरई-आरएच के रूप में।

पर 0.40% प्रावधान आवश्यकता प्राप्त करने की अनुमति है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2023 तक बकाया ऐसे सभी मानक ऋणों और अग्रिमों पर प्रावधान 31 मार्च 2024 तक 0.30%, 30 सितंबर 2024 तक 0.35% और 31 मार्च 2025 तक 0.40% तक बढ़ा दिए जाएंगे।

(डी) "मानक आस्तियों" के प्रति किए गए प्रावधान का निर्धारण सकल अग्रिमों से नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे तुलन पत्र में "अन्य निधियां और रिज़र्व" के अंतर्गत (पूंजी और देयता के अंतर्गत मद 2(viii)) मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान के रूप में अलग दर्शाया जाना चाहिए।

(ई) यदि बैंक ने पहले ही अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों/रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा अपेक्षित/ निर्धारित से अधिक प्रावधान किया है तो मानक आस्तियों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान को अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण रिज़र्व से अलग करके उसे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से "मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान" के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इस संबंध में यदि कोई कमी हो तो उसे सामान्यतया पूरा कर लेना चाहिए।

(एफ) उक्त आकस्मिक प्रावधान टियर II की पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होगी।

(v) उच्चतर प्रावधान

बैंक यदि स्वयं निर्दिष्ट सीमा से अधिक अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण रिज़र्व निर्माण करते हैं या इसे संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों में शामिल करते हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

5.2 सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधानीकरण

बैंकों में अपने स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं हो सकती हैं जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन। यह जरूरी है कि ऐसी देयताओं का वास्तविक आधार पर आकलन किया जाए और अपने लाभ हानि लेखा में इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष प्रावधान किया जाए।

5.3 धोखाधड़ी वाले खातों के संबंध में प्रावधानीकरण

14 मई 2015 से लागू में धोखाधड़ी पर मास्टर परिपत्र - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी तथा समय समय पर संशोधित के अनुसार पहचाने गए धोखाधड़ी के सभी मामलों के लिए निम्नानुसार प्रावधानीकरण मानक निर्धारित किए जाएं:

5.3.1 बैंक के प्रति देय समग्र राशि (ऐसी आस्तियों के विरुद्ध रखी गई प्रतिभूति की मात्रा पर ध्यान दिए बिना) अथवा जिसके लिए बैंक जिम्मेदार है (जमाराशि खातों के मामले सहित), के लिए वह तिमाही जिसमें धोखाधड़ी उजागर हुई है, से प्रारंभ करते हुए अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि के भीतर प्रावधान पूर्ण कर लिया जाए;

5.3.2 तथापि, जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना दिए जाने में निर्धारित अवधि से अधिक का विलंब होता है, तब सारा प्रावधान एक बार में ही किया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा, जब कभी किसी बैंक द्वारा धोखाधड़ी की सूचना दिए जाने अथवा इसके प्रति प्रावधानीकरण में विलंब किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक, यथोचित पर्यवेक्षीय कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

5.4 विशिष्ट मामलों में प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश

(i) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में विस्तृत रूप से निर्धारित श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर 31 मार्च 2006 से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड लागू होंगे।

(ii) मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों के अंतर्गत प्रदत्त अग्रिम

(ए) मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई को स्वीकृत मौजूदा ऋण सुविधाएं अव-मानक या संदिग्ध आस्ति के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, वर्गीकृत होती रहेगी।

(बी) तथापि, मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अंतिम रूप दिए गए पैकेज के अनुसार मंजूर अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद लागू होंगे।

(सी) उन एसएसआई इकाइयों को प्रदत्त अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में जिन्हें बीमार इकाई के रूप में पहचाना गया है और जहाँ बैंकों ने स्वयं या सहायता संघ व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुनर्वास पैकेज/ नर्सिंग कार्यक्रम तैयार किए हैं, वहाँ एक साल के लिए कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं है।

(iii) सावधि/ मीयादी जमाराशि, अभ्यर्पण के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और बीमा पालिसियों की जमानत पर दिए गए अग्रिमों को प्रावधान की अपेक्षाओं से छूट दी गई है।

(iv) स्वर्ण आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और सभी अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों को प्रावधानीकरण की आवश्यकता से छूट नहीं है।

(v) इसीजीसी गारंटी द्वारा संरक्षित अग्रिम

(ए) इसीजीसी द्वारा गारंटीकृत संदिग्ध आस्तियों के मामले में, निगम द्वारा गारंटीकृत राशि से ऊपर की राशि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आवश्यक प्रावधान का पता लगाने के लिए प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य को पहले निगम द्वारा गारंटीकृत राशि के संबंध में बकाया शेष राशि से घटाया जाए और फिर प्रावधान किया जाए जैसा कि नीचे बताया गया है।

उदाहरण

बकाया शेष	रु.4 लाख
ईसीजीसी संरक्षण	50 प्रतिशत

अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध रहा है	3 वर्ष से अधिक
धारित जमानत का मूल्य (उधारकर्ता/ गारंटर की संपत्ति को छोड़कर)	रु.1.50 लाख

किया जानेवाला प्रावधान

बकाया शेष	रु.4.00 लाख
घटाएं : धारित जमानत का मूल्य	रु.1.50 लाख
न वसूली गई शेष राशि	रु.2.50 लाख
घटाएं : इसीजीसी संरक्षण (न वसूलने योग्य शेष का 50%)	रु.1.25 लाख
निवल गैर जमानती शेष	रु.1.25 लाख
अग्रिम के गैर जमानती अंश के लिए प्रावधान	रु.1.25 लाख (गैर प्रतिभूत अंश का 100%)
अग्रिम के गैर-जमानती अंश के लिए प्रावधान (31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार)	रु.0.90लाख (रु.1.50 लाख के गैर प्रतिभूत अंश का 60 प्रतिशत)
किया जानेवाला कुल प्रावधान	रु.2.15 लाख (31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार)

(बी) बैंक ऊपर दी गई प्रणाली की तुलना में यदि इसीजीसी की गारंटियों द्वारा संरक्षित अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण की अति कठोर प्रणाली अपना रहे हैं, तो उसी प्रणाली को अपनाने का विकल्प उनके लिए खुला है।

vi) क्रेडिट गारंटी योजनाओं द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजर

[दिनांक 07 सितंबर 2022 के परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23](#) के अनुसार, बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई), क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग (CRGFTLIH) और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के तहत व्यक्तिगत योजनाओं को कुछ शत के अधीन गारंटीकृत अग्रिमों पर शून्य जोखिम भार लागू करने की अनुमति दी गई है। यदि ऐसे अग्रिम अनर्जक हो जाते हैं, तो गारंटीकृत हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। गैर-निष्पादित संपत्तियों के लिए प्रावधान पर विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

vii) सर्वसमावेशी निदेश (एआईडी) के तहत के प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) का अंतरबैंक एक्सपोजर

(ए) यूसीबी द्वारा एआईडी के तहत के यूसीबी के पास रखे गए जमाओं से उत्पन्न होने वाले अंतर बैंक एक्सपोजर और एआईडी के तहत के यूसीबी द्वारा जारी किए गए रियायती बिलों से उत्पन्न होने वाले उनके गैर-निष्पादित एक्सपोजर को सालाना 20% की दर से पांच साल के भीतर पूरी तरह से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, जमा पर प्राप्त ब्याज को यूसीबी द्वारा आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

(बी) यदि यूसीबी ऐसे जमाओं को दीर्घकालिक परपेचुअल डेट इंस्ट्रुमेंट्स (जैसे इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रुमेंट-आईपीडीआई) में बदलने का चुनाव करते हैं, जिन्हें सहायता के तहत यूसीबी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार की योजना के तहत पूंजीगत साधन के रूप में मान्यता दी जा सकती है, तो ऐसे साधनों में परिवर्तित जमाओं के हिस्से पर प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी।

6. ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण

ऋणों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान आवश्यकताएं [भारतीय रिजर्व बैंक \(ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण\) निर्देश, 2021](#) के अनुसार होंगी।

7. बार-बार पूछे जानेवाले कतिपय प्रश्नों का स्पष्टीकरण [अनुबंध 4](#) में दिया गया है।

कृषि प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष वित्त

1.1 किसानों को कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों (डेरी उद्योग, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन आदि) के लिए वित्त

व्यक्तिगत किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) सहित, यानी व्यक्तिगत किसानों के समूहों ने, बैंकों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे ऐसे ऋणों पर अलग-अलग डेटा बनाए रखने, अर्थात् डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और रेशम पालन (ककून चरण तक)] को प्रदान किए ऋण।

1.2 अन्य (जैसे, भागीदारी फर्म तथा संस्थानों) को कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों (डेरी उद्योग, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन आदि) के लिए ऋण, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रति उधारकर्ता 2 करोड़ की कुल सीमा तक:

- (i) फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण अर्थात् फसल ऋण। इसमें पारंपरिक/ गैर-पारंपरिक बागान एवं उद्यान शामिल होंगे।
- (ii) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (जैसे कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, सिंचाई के लिए ऋण और कृषि में किए गए अन्य विकासात्मक गतिविधियों और संबद्ध गतिविधियों के लिए विकास ऋण)।
- (iii) फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किए गए कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), छंटाई तथा परिवहन के लिए ऋण।
- (iv) 12 माह की अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/ दृष्टिबंधक रखकर रु.50 लाख तक के अग्रिम, चाहे किसानों को फसल उगाने के लिए फसल ऋण दिए गए हों या नहीं।
- (v) कृषि प्रयोजन हेतु जमीन खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण।
- (vi) आपदाग्रस्त किसानों को गैर संस्थागत उधारदाताओं से लिए गए ऋण चुकाने के लिए उचित संपार्श्विक पर ऋण।
- (vii) अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात ऋण।

प्रोफार्मा

बैंक का नाम :

संवर्ग टियर 1/ टियर 2/ टियर 3/ टियर 4:

आस्ति वर्गीकरण और 31 मार्च _____ की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान

(इलाख में)											
आस्ति वर्गीकरण		खातों की संख्या	बकाया राशि	कुल बकाया ऋण में स्तंभ 3 का प्रतिशत	किया जानेवाला प्रावधान		वर्ष के आरंभ में मौजूदा प्रावधान	रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	वर्ष के अंत में कुल प्रावधान	टिप्पणी	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
कुल ऋण और अग्रिम											
उसमें से											
ए.	मानक आस्तियां										
बी.	अनर्जक आस्तियां										
	1.	अवमानक									
	2.	संदिग्ध									
	i)	1 वर्ष तक									
		ए)	प्रतिभूत								
		बी)	गैरप्रतिभूत								
	ii)	1 वर्ष से ऊपर और 3 वर्ष तक									
		ए)	प्रतिभूत								
		बी)	गैरप्रतिभूत								
	iii)	3 वर्ष से ऊपर जमानती									
ए)		31 मार्च ... को एनपीए का बकाया स्टॉक									
बी)		01 अप्रैल ... को या उसके बाद 3 वर्ष से									

			अधिक संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत अग्रिम									
		सी)	गैरप्रतिभूत									
		कुल संदिग्ध आस्तियां (i+ii+iii)										
		ए)	प्रतिभूत									
		बी)	गैरप्रतिभूत									
	3.	हानि आस्तिया										
सकल एनपीए (बी1 + बी2 + बी3)												
टिप्पणी : कृपया उल्लेख करें कि वर्तमान वर्ष के लाभ में से प्रावधान (मद 8) किस प्रकार किया गया/ किया जाना प्रस्तावित है।												

निवल अग्रिम/ निवल एनपीए की स्थिति
लाख रुपए में

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	सकल अग्रिम		
2.	सकल एनपीए		
3.	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत		
4.	कटौतियां		
	- ब्याज उचंचत लेखा/ ओआईआर में शेष *		
	- डीआईसीजीसी/ ईसीजीसी से प्राप्त दावे जिन्हें समायोजन तक लंबित रखा गया		
	- एनपीए खातों का प्राप्त आंशिक भुगतान जिसे उचंचत खाते में रखा गया		
	कुल कटौतियां		
5.	- धारित कुल एनपीए प्रावधान (विनियोग के बाद बीडीडीआर विशेष बीडीडीआर)		
6.	निवल अग्रिम (1-4-5)		
7.	निवल एनपीए (2-4-5)		
8.	निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए		

* अर्थात् एनपीए खातों पर उपचित ब्याज यदि ऋणों और अग्रिमों में (पूँजीकृत) शामिल किया गया हो।

प्रमाणित किया जाता है कि अनर्जक आस्तियों का पता भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार लगाया गया है और तदनुसार प्रावधान किया गया है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सांविधिक लेखापरीक्षक

अर्जक और अनर्जक दोनों प्रकार के अग्रिमों पर उपचित ब्याज के संबंध में पारित की जानेवाली उदाहरणात्मक लेखा प्रविष्टियां

1. अर्जक आस्तियों पर उपचित ब्याज

- (i) मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.2 और 4.5.3 (ii) में यह स्पष्ट किया गया है कि अर्जक अग्रिमों पर उपचित ब्याज उधारखातों पर प्रभारित करते हुए आय खाते में लिया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि किसी 'क' उधारकर्ता के अर्जक अग्रिम के संबंध में उपचित ब्याज 10,000/- (नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण खाता आदि) रूपये है तो लेखा बहियों में निम्नानुसार प्रविष्टियां पारित की जाएंगी।

(नामे) उधारकर्ता खाता (सीसी, ओडी ऋण) रु.10,000.00

(जमा) ब्याज खाता रु.10,000.00

- (ii) उधारखाते के संबंध में उपचित ₹10,000/- रूपये की ब्याज की राशि यदि उसी लेखावर्ष के अंत में वास्तव में वसूल नहीं होती है और खाता उत्तरवर्ती वर्ष के अंत में एनपीए हो जाता है तो तत्संबंधी गत वर्ष में उपचित ब्याज तथा आय खाते जमा ब्याज की राशि प्रत्यावर्तित कर देनी चाहिए या उसका प्रावधान किया जाना चाहिए बशर्ते उसे निम्नानुसार प्रविष्टियां पारित करके वसूल नहीं किया गया हो :

(नामे) पीएण्डएल खाता रु.10,000.00

(जमा) ओवरड्यु इंटरैस्ट रिज़र्व खाता रु.10,000.00

- (iii) यदि उपचित ब्याज बाद में वसूल हो जाता है, तो निम्नानुसार प्रविष्टियां पारित की जाएंगी

(नामे) नकद/बैंक खाता रु.10,000.00

(जमा) उधारकर्ता का खाता रु.10,000.00

(सीसी, ओडी, ऋण)

(नामे) ओवरड्यु इंटरैस्ट रिज़र्व खाता रु.10,000.00

(जमा) ब्याज खाता रु.10,000.00

II. अनर्जक आस्तियों पर उपचित ब्याज :

अनर्जक अस्तियों पर उपचित ब्याज को "इंटरैस्ट रिसिवेबल खाता" में नामे और उतनी ही राशि 'ओवरड्यु इंटरैस्ट रिज़र्व खाता' में जमा दर्ज की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी उधारकर्ता 'ख' के नकदी ऋण/ ओडी/ऋण आदि खाते के संबंध में उपचित ब्याज 20,000/- रूपये है, तो लेखा प्रविष्टियां निम्नानुसार पारित की जाएंगी :

(i) (नामे) इंटरैस्ट रिसिवेबल खाता रु.20,000.00

(जमा) ओवरड्यु इंटरैस्ट रिज़र्व खाता रु.20,000.00

(ii) बाद में, यदि ब्याज वास्तविक रूप में प्राप्त हो जाता है, तो प्रविष्टियां निम्नानुसार पारित की जाएंगी :

(नामे) नकदी/बैंक खाता	रु.20,000.00
(जमा) इंटरेस्ट खाता	रु.20,000.00
(नामे) ओवरड्यु इंटरेस्ट रिज़र्व खाता	रु.20,000.00
(जमा) इंटरेस्ट रिसिवेबल खाता	रु.20,000.00

III. ऋण बहियों और तुलन पत्र में अतिदेय ब्याज का लेखाकरण

- (i) प्रत्येक अनर्जक उधार खाते के संबंध में प्राप्त ब्याज की राशि निकालने को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के अलग-अलग बही खातों में एक अलग कॉलम खोल सकते हैं और प्राप्य ब्याज को उसमें दिखा सकते हैं। इससे बैंक किसी भी समय उधारकर्ताओं से वास्तव में वसूली जाने वाली ब्याज की राशि का पता लगा सकते हैं। ऋण बहियों में अलग स्तंभ में दर्शाई गई राशि अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्राप्त ब्याज की राशि होगी और तुलनपत्र में वह 'ओवरड्यु इंटरेस्ट रिज़र्व' के रूप में अपनी समकक्षी देयताओं वाली मद के साथ आस्तिवाले पक्ष में प्रदर्शित होगी।
- (ii) इसी तरह, आय खाते में लिए गए अर्जित ब्याज को दिखाने के लिए अग्रिम प्रदर्शन के संबंध में ऋण बहीखाता में एक अलग कॉलम प्रदान किया जाना चाहिए। यदि अर्जित ब्याज की वसूली नहीं होती है और खाता एनपीए बन जाता है, तो राशि को प्रतिवर्ती या प्रदान करना होगा।

(कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर स्पष्टीकरण)

(पैरा 7 देखें)

1. प्रश्न: स्टॉक विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत न किये जाने पर क्या कार्यशील पूंजी खाता अनर्जक खाता बन जायेगा? कितनी अवधि तक स्टॉक विवरण बकाया रहने पर खाते को अनर्जक खाता माना जायेगा?

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खाते में किये गये आहरणों के लिए पर्याप्त चालू आस्तियां रखी गयी हों, क्योंकि संकट के समय पहले चालू आस्तियों का विनियोजन किया जाता है। बड़े ऋणकर्ताओं की व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए आहरणाधिकार निश्चित करने के लिए बैंक जिन स्टॉक विवरणों पर निर्भर रहते हैं वे तीन माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तीन माह से अधिक पुराने स्टॉक विवरणों से परिकलित आहरणाधिकार पर आधारित खाते की बकाया राशियों को अनियमित माना जायेगा। यदि ऐसे अनियमित आहरणों की अनुमति खाते में 90 दिन की लगातार अवधि के लिए दी जाये तो कार्यशील पूंजी ऋण खाता अनर्जक हो जायेगा, भले ही यूनिट कार्य कर रही हो अथवा ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

2. प्रश्न: क्या नियमित/ तदर्थ ऋण सीमाओं की नियत समय पर पुनरीक्षा/ उनका नवीकरण न किये जाने पर खाता अनर्जक बन जायेगा? किसी खाते की वर्तमान स्थिति के बारे में निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षा/ नवीकरण की आवश्यकता क्या होनी चाहिए ?

बैंक कार्यशील पूंजी सीमाओं की आवधिक समीक्षा के लिए नीति की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर अद्यतन किए गए अग्रिमों के प्रबंधन पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए [08 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र](#) में निहित निर्देशों का पालन करेंगे। इसके अलावा, बैंक [21 अगस्त, 2020 के परिपत्र डीओएस.सीओ.पीपीजी.बीसी.1/11.01.005/2020-21](#) के तहत 'तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीनीकरण' पर जारी निर्देशों का भी पालन करेंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: अन्य बातों के साथ-साथ समग्र नियामक दिशानिर्देशों के भीतर ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीकरण के लिए कार्यप्रणाली और आवश्यकता पर एक विस्तृत बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की आवश्यकता और उसका सख्ती से पालन करना। वह खाता जिसमें नियमित / तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा नहीं की गई है या तदर्थ मंजूरी की नियत तारीख / तारीख से 90 दिनों के भीतर नवीनीकृत नहीं किया गया है, उसे एनपीए माना जाएगा। उधारकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य डेटा की अनुपलब्धता जैसी बाधाओं के मामले में, शाखा को यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि क्रेडिट सीमाओं का नवीनीकरण / समीक्षा पहले से ही चल रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी।

3. तुलनपत्र की तारीख के निकट खातों को नियमित करना - यदि ऋण खाता वर्ष में अधिकांश समय तक अनियमित रहा हो, पर उसे तुलनपत्र की तारीख के आसपास नियमित कर लिया गया हो तो क्या उस ऋण खाते को 'मानक' मानना उचित होगा ?

जिन ऋण खातों में तुलनपत्र की तारीख से पूर्व एक-दो बार राशियां जमा की गयी हों, उनका आस्ति वर्गीकरण सावधानीपूर्वक और व्यक्तिनिष्ठता की गुंजाइश के बिना किया जाना चाहिए। जहां तुलनपत्र की तारीख से पूर्व अथवा उसके बाद खाता संतोषजनक रूप से परिचालित न हुआ हो तथा खाता उपलब्ध

आंकड़ों के आधार पर अंतर्निहित कमजोरियों का संकेत दे रहा हो, वहां खाते को अनर्जक माना जाना चाहिए। अन्य वास्तविक मामलों में, बैंकों को उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति के बारे में संदेह को समाप्त करने के लिए खाते को नियमित करने के ढंग के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों/ निरीक्षण अधिकारियों के समक्ष संतोषजनक साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

1. ऐसी अवस्था में अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण जब उनकी वसूली में संदेह हो

एनपीए को सीधे तौर पर संदिग्ध या हानि वाली संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के निर्देशों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए और इसे 'महत्वपूर्ण ऋण हानि' कहा जा सकता है?

अनर्जक आस्तियों को वर्गीकरण की विभिन्न श्रेणियों से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी आस्तियों को तत्काल संदिग्ध/ हानि - आस्ति के रूप में जैसा भी उचित हो, वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्रतिभूति के मूल्य में मूल्यहास को तब महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य पिछले निरीक्षण के समय बैंक द्वारा निर्धारित या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत मूल्य के, भी स्थिति को, 50 प्रतिशत से कम हो। ऐसी अनर्जक आस्तियों को तत्काल संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और संदिग्ध आस्तियों के लिए लागू प्रावधान किया जाना चाहिए।

5. सहायता-संघ के अंतर्गत ऋण सुविधाओं का वर्गीकरण

संघीय व्यवस्था के खातों के कतिपय मामलों में किसी सदस्य बैंक के खाते में वसूली के अभिलेख से यद्यपि यह प्रकट होता है कि वह एक अनर्जक खाता है, परंतु कई बार बैंक यह दिखाते हैं कि उधारकर्ता ने सहायता संघ के नेता/ संघ के सदस्य के पास पर्याप्त निधियां जमा कर दी हैं और उक्त बैंक का हिस्सा प्राप्त होना है। ऐसे मामलों में क्या उक्त सदस्य बैंक द्वारा खाते को अपनी बहियों में 'मानक' खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाना उचित होगा ?

संघीय व्यवस्था के अंतर्गत खातों का अस्ति - वर्गीकरण अलग - अलग सदस्य बैंकों की वसूली के अभिलेख और अग्रियों की वसूली की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। जब संघीय ऋण - व्यवस्था के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा प्रेषित निधियां एक बैंक के पास एकत्र की जाती हैं और/ या प्रेषित निधियां प्राप्त करने वाला बैंक जब अन्य सदस्य बैंकों का हिस्सा नहीं देता है तो अन्य सदस्य बैंकों की बहियों में उक्त खाते में 'अप्राप्ति' मानी जायेगी और इस प्रकार उक्त खाता एनपीए आस्ति माना जायेगा। इसलिए संघीय ऋण - व्यवस्था में भाग लेने वाले बैंकों को संबंधित लेखा बहियों में समुचित अस्ति - वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए वसूली का अपना हिस्सा अग्रणी बैंक से अंतरित कराने की व्यवस्था करनी चाहिए या इसके लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

6. वसूली गई राशियों का विनियोग - एनपीए खातों में वसूली गई राशियों के विनियोग के संबंध में बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली पद्धति क्या है ?

अनर्जक खातों (मूल राशि या देय ब्याज के लिए) में वसूली के विनियोग संबंध में बैंक और उधारकर्ता के मध्य सुस्पष्ट करार न होने की स्थिति में बैंक कोई लेखांकन सिद्धांत अपना सकते हैं और एकसमान तथा सुसंगत पद्धति से वसूली गई राशियों के विनियोग के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

7. अन्य क्रेडिट सुविधाओं में अतिदेय - ऐसे उदाहरण हैं जहां बैंक एक अलग खाते में ऋण के हस्तांतरण और लागू गारंटी के संबंध में एक उधारकर्ता से बकाया राशि पार्क करते हैं, भले ही उधारकर्ता की ऋण सुविधाएं नियमित हों या नहीं। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि जिस खाते में ऐसी बकाया राशि जमा है वह एनपीए बन गया है?

कई बैंक ऋण के हस्तांतरण के संबंध में उधारकर्ता की देय राशि को अलग खाते में रखने की प्रथा अपनाते हैं और एक अलग खाते में गारंटियां मांगते हैं जो नियमित रूप से स्वीकृत सुविधा नहीं है। परिणामस्वरूप ये उधारकर्ता के मूल परिचालन खाते में नहीं दिखाई देते हैं। इससे एनपीए की पहचान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, यह सूचित किया जाता है कि यदि ऋण पत्रों के हस्तांतरण से उत्पन्न ऋण या लागू गारंटियों को एक अलग खाते में रखा जाता है, तो उस खाते में बकाया राशि को भी आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने उद्देश्य के लिए उधारकर्ता के प्रमुख परिचालन खाते के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

8. हानि वाली आस्तियों का निरूपण -किसी एनपीए को केवल तभी हानि वाली आस्ति माना जायेगा, जब उक्त खाते के लिए कोई जमानत नहीं हो या जब उस खाते में जमानत के वसूली योग्य मूल्य में पर्याप्त मूल्यहास हो गया हो। हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले खाते के लिए 'पर्याप्त' मूल्यहास किसे कहा जा सकता है ?

यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/ रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार उस जमानत का वसूली योग्य मूल्य उक्त उधार खाते में बकाया राशियों के 10 प्रतिशत से कम हो, तो जमानत के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को तुरंत हानि - आस्ति के रूप के वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सहकारी सोसायटी अधिनियम/ नियम के अनुसार सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद इसे या तो बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए या बैंक द्वारा इसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।

9. जमानत का मूल्यांकन - प्राथमिक और संपार्श्विक जमानत का वसूलीयोग्य मूल्य, प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं में भिन्नता का प्रमुख स्रोत है। क्या इस क्षेत्र में अपनाये जाने हेतु, कम से कम बड़े खातों के लिए एकसमान दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा सकते हैं।

जमानत के मूल्य निर्धारण में अंतर से उत्पन्न भिन्नताओं को कम करने के लिए 10 लाख रुपये या उससे अधिक शेष राशिवाली अनर्जक आस्तियों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि :

(ए) चालू आस्तियों और उनके मूल्यांकन की जांच पड़ताल सांविधिक लेखा-परीक्षा/ समवर्ती लेखा-परीक्षा के समय की जायेगी। तथापि, शेयरों के मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ाने के प्रयोजनार्थ बड़ी राशिवाले अग्रिमों के मामले में बाह्य एजेंसियों द्वारा वार्षिक अंतराल पर शेयरों की लेखा-परीक्षा करवाने पर विचार किया जा सकता है। निर्दिष्ट सीमा और बाह्य एजेंसियों के नाम बोर्ड द्वारा तय किए जाएंगे।

(बी) संपार्श्विक प्रतिभूतियों यथा बैंक के पक्ष में प्रभारित अचल संपत्तियों का मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं से तीन वर्ष में एक बार कराया जाना चाहिए।

10. समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते - समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खातों के लिए बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देश क्या हैं?

कृपया [8 जून, 2023 के समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने \(राइट-ऑफ\) के लिए रूपरेखा](#) और 20 जून, 2023 को जारी किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।

अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्रमुख अवधारणाएं

(i) **अग्रिम:** 'अग्रिम' शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए/खरीदे गए बिल, आढतीय प्राप्य राशियां आदि तथा ईक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।

ii. **पूर्णतः रक्षित :** जब बैंक को देय राशियां (पुनर्रचित ऋण की शत के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में बैंक के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह रक्षित हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह रक्षित समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक/अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।

(iii) **पुनर्रचित खाते:** पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां बैंक उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर वह अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों/जमानत की शत में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि/चुकौती योग्य राशि/किस्तों की राशि/ ब्याज की दर (प्रतियोगी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा।

(iv) **लगातार पुनर्रचित खाते:** जब कोई बैंक किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्रचना करता है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्रचना की शत के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्रचना की जाती है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' नहीं समझा जाएगा।

(v) **एसएमई:** समय समय पर अद्यतित 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा - स्पष्टीकरण' पर [21 अगस्त 2020 के परिपत्र एफआईडीडी. एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21](#) के अनुसार परिभाषित लघु और मध्यम उद्यम।

(vi) **निर्दिष्ट अवधि:** निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्रचना पैकेज की शत के अनुसार ब्याज अथवा मूल धन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि।

(vii) **संतोषजनक कार्यनिष्पादन:** निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शत का पालन किए जाने से है:

कृषितर नकद ऋण खाते : कृषितर नकद ऋण खातों के मामले में, खाता निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी समय अनियमित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

कृषितर मीयादी ऋण खाते : कृषितर मीयादी ऋण खातों के मामले में कोई भी भुगतान 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

सभी कृषि खाते : कृषि खातों के मामले में निर्दिष्ट अवधि के अंत में खाता नियमित होना चाहिए।

अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंड

पुनर्रचित खातों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

		आवास ऋण	एसएमई ऋण पुनर्रचना	अन्य
पुनर्रचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्गठन के लिए आवेदन जो प्रक्रियाधीन है, पैकेज स्वीकृत नहीं	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			

अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

दिशानिर्देशों के तहत पुनर्रचित खातों का आस्ति वर्गीकरण					
	ब्यौरे	मामला 1	मामला 2	मामला 3	मामला 4
I	भुगतान की कल्पित नियत तारीख	31.01.2007	31.01.2007		
	पुनर्रचना की कल्पित तारीख	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2007
	पुनर्रचना की तारीख को बकाया रहने की अवधि	2 महीने	2 महीने	18 महीने	18 महीने
	पुनर्रचना के पूर्व आस्ति वर्गीकरण(एसी)	'मानक'	'मानक'	'संदिग्ध - एक वर्ष से कम'	'संदिग्ध - एक वर्ष से कम'
	एनपीए की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	31.12.05 (कल्पित)	31.12.05 (कल्पित)
II	पुनर्रचना के समय आस्ति वर्गीकरण (एसी)				
	उधारकर्ता का कल्पित स्तर	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए अपात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए अपात्र
	पुनर्रचना के पश्चात् आस्ति वर्गीकरण	'मानक'	31.03.07 (अर्थात् पुनर्रचना की तारीख को) से दर्जा घटाकर 'अवमानक' श्रेणी में	संदिग्ध - एक वर्ष से कम	संदिग्ध - एक वर्ष से कम
	संशोधित शत के अंतर्गत कल्पित पहला देय भुगतान	31.12.07	31.12.07	31.12.07	31.12.07
III	पुनर्रचना के बाद आस्ति वर्गीकरण				
अ.	पुनर्रचित शत के अनुसार खाता संतोषजनक कार्यनिष्पादन करता है				
(ए)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि (अर्थात् 31.12.07 से	कोई परिवर्तन नहीं (अर्थात्	31.03.08 से (अर्थात् अवमानक रूप में वर्गीकरण के	कोई परिवर्तन नहीं (अर्थात् 'संदिग्ध - एक वर्ष से कम'	31.12.07 से (अर्थात् 'संदिग्ध - एक वर्ष से कम'

	31.12.08 तक) के दौरान आस्ति वर्गीकरण	'मानक' रहता है)	एक वर्ष के बाद) संदिग्ध - एक वर्ष से कम	वर्ष से कम' श्रेणी में ही रहता है)	के रूप में वर्गीकरण एक वर्ष के बाद
(बी)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के बाद आस्ति वर्गीकरण	'मानक' श्रेणी में जारी	'मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया	'मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया	'मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया
आ	यदि पुनर्रचित शत के अनुसार कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है				
(ए)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण (यदि एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व असंतोषजनक कार्यनिष्पादन स्थापित हुआ हो)	30.04.2007 से 'अवमानक' माना गया तथा 30.4.08 से दर्जा घटाकर 'संदिग्ध - एक वर्ष से कम' किया गया	31.03.08 से (अर्थात् वर्गीकरण के एक वर्ष के बाद) संदिग्ध - एक वर्ष से कम	31.12.07 से 'संदिग्ध एक से तीन वर्ष'	31.12.07 से (अर्थात् 'संदिग्ध - एक वर्ष से कम' के रूप में वर्गीकरण से एक वर्ष की अवधि के बाद 31.12.06 को) संदिग्ध - एक से तीन वर्ष
(बी)	यदि असंतोषजनक कार्यनिष्पादन जारी रहता हो तो एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के बाद आस्ति वर्गीकरण	30.04.09 से 'संदिग्ध - एक से तीन वर्ष' श्रेणी में जाएगा और 30.04.2011 से 'संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक' में	31.03.09 से 'संदिग्ध- एक से तीन वर्ष' श्रेणी में जाएगा और 31.03.2011 से संदिग्ध -तीन वर्ष से अधिक में	31.12.09 से संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक' श्रेणी में जाएगा।	31.12.09 से 'संदिग्ध -तीन वर्ष से अधिक' श्रेणी में आगे डाला जाएगा।

कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के आस्ति वर्गीकरण संबंधी दिशानिर्देश

बैंकों को ऋण की मंजूरी/वित्तीय समापन⁷ के समय (एकाधिक बैंकिंग या कंसोर्टियम व्यवस्था के मामले में) सभी परियोजना ऋणों के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तिथि (डीसीसीओ) तय करनी चाहिए। आईआरएसी मानदंडों के प्रयोजन से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है (i)इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण (ii)गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण।

1 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

1.1 किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने से पहले वसूली के रिकार्ड (90 दिन अतिदेय होने के बाद) के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा 1.3 से 1.4 के अनुसार उसे पुनर्चित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

1.2 किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है तो एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो और जब तक कि निम्नलिखित पैरा 1.3 से 1.4 के अनुसार पुनर्चित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

1.3 यह भी हो सकता है कि कानूनी तथा सरकारी अनुमोदन में विलंब आदि कारणों से परियोजना पूर्ण होने में विलंब हो रहा है। इस प्रकार प्रवर्तक के नियंत्रण में न होनेवाले सभी पहलूओं के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है तथा इसके लिए बैंकों द्वारा ऋण की पुनर्चना/पुनर्निर्धारण करना आवश्यक होगा। यदि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण को अग्रिमों की पुनर्चना के विवेकपूर्ण दिशानिर्देश पर उपर्युक्त पैरा 2.2.7 के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि (डीसीसीओ) से दो वर्ष के भीतर पुनर्चित किया जाता है तो उसे मानक आस्ति के रूप में बनाए रखा जा सकता है, यदि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निम्नलिखित सीमाओं के भीतर

⁷ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए, वित्तीय समापन को परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने या जुटाने के लिए इक्विटी धारकों और ऋण फाइनेंसर्स की कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह की फंडिंग परियोजना लागत के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए होनी चाहिए जो कि सुविधा के निर्माण को सुरक्षित बनाते हुए कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

निर्धारित की जाती है और इसके अलावा यदि पुनर्चित शत के अनुसार खाते में ब्याज का भुगतान किया जाता रहा हो।

(ए) इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जो न्यायिक मामलों से जुड़ी हो

यदि उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि में बढ़ोतरी के कारण मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायिक मामला हो तो अगले 2 वर्ष तक (समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा वृद्धि के बाद अर्थात् कुल 4 वर्ष की) समय वृद्धि

(बी) प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हुआ विलंब

न्यायिक मामलों से इतर मामलों में 1 वर्ष तक समय सीमा में (2 वर्ष की मौजूदा बढ़ोतरी के बाद 1 वर्ष अर्थात् कुल 3 वर्ष की) समय वृद्धि।

1.4 उपर्युक्त पैरा 1.3 के अंतर्गत दी गयी छूट तभी लागू होगी जब पुनर्चना के लिए आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्राप्त किया गया है और खाता वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी मानक बना हुआ हो। अन्य लागू होने वाली शत निम्नलिखित होगी :

- i. जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें बैंकों को ऐसे पुनर्चित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय अर्ज नहीं करनी चाहिए।
- ii . बैंकों को ऐसे खातों के लिए जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए :

वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की मूल तिथि से दो वर्ष तक	0.40%
वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद तीसरे एवं चौथे वर्ष के दौरान	1.00%

इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि में बढ़ोतरी मात्र को भी पुनर्चित माना जाएगा भले ही अन्य सभी शत पूर्ववत बनी रहें।

2. गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण

2.1 किसी गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ के पहले वसूली रिकार्ड (90 दिन अतिदेय होने के बाद) के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा 2.3 से 2.4 के अनुसार उसे पुनर्चित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता।

2.2 किसी गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से छः महीने के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है, भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो और जब तक कि उसे निम्नलिखित पैरा 2.3 से 2.4 के अनुसार पुनर्चित नहीं किया जाता और वह 'आस्ति मानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता।

2.3 गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में यदि वाणिज्यिक परिचालनों को प्रारंभ करने में वित्तीय बंदी के समय तयशुदा परियोजना समाप्त करने की तिथि से छः महीने से अधिक विलंब होता है, तो बैंक वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि तय कर सकते हैं और ऊपर दिए गए पैराग्राफ 2.2.7 में अग्रिमों की पुनर्चना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार खातों की पुनर्चना करके "मानक" वर्गीकरण को बनाए रखें, बशर्ते कि नया डीसीसीओ मूल डीसीसीओ से बारह महीने की अवधि से आगे न बढ़े। अन्य बातों के साथ इसका यह तात्पर्य होगा कि पुनर्चित करने का आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से छः माह का समय पूरा होने से पहले तथा जब वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार खाता अभी भी 'मानक' रूप में हो तब प्राप्त हुआ हो।

नीचे दी गयी अन्य शत भी लागू होंगी:

ए. जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें बैंकों को ऐसे पुनर्चित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से छ महीने से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

बी. बैंकों को ऐसे खातों के लिए जब तक कि उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए :

वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की मूल तिथि से छः महीने तक	0.40%
अगले छः महीने के दौरान	1.00%

2.4 इस प्रयोजन से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि में बढ़ोतरी मात्र को भी पुनर्चित माना जाएगा भले ही अन्य सभी शत पूर्ववत बनी रहें।

3 हालांकि, ये दिशानिर्देश वाणिज्यिक अचल संपत्ति और आवास ऋण के पुनर्गठन पर लागू नहीं होंगे।

4. अन्य मुद्दे

4.1 वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने से पहले परियोजना ऋणों के पुनर्गठन के अन्य सभी पहलू इस मास्टर परिपत्र में निहित अग्रिमों के पुनर्गठन पर निर्देशों द्वारा शासित होंगे।

4.2 परियोजना के दायरे एवं आकार में वृद्धि के कारण परियोजना के परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी परियोजना ऋण की चुकौती कार्यक्रम में किसी परिवर्तन को पुनर्चना नहीं माना जाएगा यदि :

- (i) परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले होती है।
- (ii) मूल परियोजना की परिकल्पित लागत में किसी प्रकार की अत्यधिक बढ़ोतरी को छोड़कर लागत में अन्य वृद्धि मूल परिव्यय के 25% अथवा उससे अधिक है।
- (iii) बैंक परियोजना के दायरे में वृद्धि को अनुमोदित तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करता है।
- (iv) पुनः रेटिंग के उपरांत (यदि पहले रेटिंग की गयी हो) नयी रेटिंग पिछली रेटिंग से एक से अधिक श्रेणी कम न हो।

‘इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र’ ऋण की परिभाषा

ऋणदाताओं (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा किसी संरचनात्मक सुविधा के लिए किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई कोई ऋण सुविधा, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, " इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र ऋण " की परिभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में, किसी उधारकर्ता कंपनी को दी गई ऋण सुविधा जो विकसित करना या परिचालित करना और उसका रखरखाव करना, या विकसित करना, परिचालित करना और उसका रखरखाव करना जैसी मूलभूत सुविधा अथवा निम्नलिखित काय के अनुरूप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा हो-

कोई सड़क जिसके अंतर्गत टोल रोड, कोई पुल या रेल प्रणाली शामिल है; कोई राजमार्ग परियोजना जिसके अंतर्गत राजमार्ग परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में आने वाली अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं; कोई बंदरगाह, विमानपत्तन, देशी जलमार्ग या देशीय बंदरगाह; कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सफाई और मलजल प्रणाली या ठोस कचरा निपटान प्रणाली; दूर संचार सेवाएं, चाहे बेसिक या सेल्युलर, जिसके अंतर्गत पेजिंग, देशी सैटेलाइट सेवाएं (अर्थात् : दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वाधिकृत और परिचालित सैटेलाइट), ट्रंकिंग नेटवर्क, बॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं; कोई औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र; विद्युत का उत्पादन या उत्पादन और वितरण; नई प्रेषण और वितरण लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत का प्रेषण या वितरण; ऐसी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य जिनमें कृषि प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र के लिए निविष्टियों की आपूर्ति शामिल हों; प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जियां और फूल के परिरक्षण और भंडारण से संबंधित निर्माण तथा गुणवत्ता के लिए परीक्षण सुविधाएँ; शिक्षा संस्थाओं और

अस्पतालों का निर्माण; गैस, कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन्स लगाना अथवा उनका रखरखाव ;
इसी प्रकार की कोई अन्य बुनियादी सुविधा।

ए. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रसं	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2023-24	24.04.2023	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड
2.	विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23	07.09.2022	विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार
3.	डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 85/21.04.048/2021-22	15.02.2022	आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण
4.	डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 68/21.04.048/2021-22	12.11.2021	आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण
5.	डीओआर.(पीसीबी).बीपीडी.परिपत्र सं. 11/16.20.000/ 2019-20	20.08.2020	सभी समावेशी निदेशों के तहत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के इंटरबैंक एक्सपोजर पर प्रावधान
6.	डीओआर.(पीसीबी).बीपीडी.परिपत्र सं. 1/13.05.001/ 2020-21	12.08.2020	सिस्टम-आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण - शहरी सहकारी बैंक
7.	डीओआर.(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.7/13.05.000/2019 -20	27.12.2019	बड़े ऋण (सीआरआईएलसी) पर सूचना के केंद्रीय भंडार को बड़े एक्सपोजर की रिपोर्टिंग - शहरी सहकारी बैंक
8.	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2015-16	16.07.2015	आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - क्रेडिट कार्ड खाते

9.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.35/12.05.001/2014-15	14.05.2015	धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान
10.	यूबीडी बीपीडी (पीसीबी) परि.सं. 45/13.05.000/2013-14	28.01.2014	आवास क्षेत्र: सीआरई क्षेत्र के भीतर नया उप-क्षेत्र सीआरई-आवासीय हाउसिंग (सीआरई-आरएच) खंड और प्रावधान और जोखिम भार का युक्तिकरण
11.	यूबीडी. बीपीडी पीसीबी परि.सं. 37/09.22.010/2013-14	14.11.2013	कम आय वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा गारंटीकृत अग्रिम - जोखिम भार और प्रावधान
12.	यूबीडी बीपीडी (पीसीबी) परि.सं.49/09.14.000/2010-11	24.05.2011	उपादान की सीमा में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामकीय निरूपण
13.	यूबीडी.बीपीडी.परि.सं..59/09.14.000/2009-10	23.04.2010	कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए आईआरएसी मानदंड
14.	यूबीडी.बीपीडी.परि.सं.29/09.11.600/2009-10	08.12.2009	मौद्रिक नीति की समीक्षा - प्रावधान की आवश्यकता
15.	यूबीडी.सीओ.एलएस.परि.सं.66/07.01.000/2008-09	06.05.2009	2009-10 के लिए वार्षिक नीति विवरण - संचालन के क्षेत्र का विस्तार - उदारीकरण
16.	यूबीडी.पीसीबी.बीपीडी.53/13.05.000/2008-09	06.03.2009	अग्रिमों की पुनर्चना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
17.	यूबीडी.पीसीबी.परि.सं.29/09.11.600/2008-09	01.12.2008	एक्सपोजर के लिए मानक आस्तियों और जोखिम भार के लिए प्रावधान
18.	यूबीडी. पीसीबी.परि.सं.47/09.11.600/07-08	26.05.2008	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता
19.	यूबीडी. पीसीबी.परि.सं.38/09.14.000/2007-08	02.04.2008	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड
20.	यूबीडी.(पीसीबी).परि.सं.35/09.20.001/07-08	07.03.2008	विनियामक उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण
21.	यूबीडी.पीसीबी.परि.सं.38/9.14.000/06-07	30.04.2007	वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य-आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड

22.	यूबीडी. पीसीबी.परि.सं.30/9.11.600/06-07	19.02.2007	2006-07 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक विवरण की तीसरी तिमाही समीक्षा-मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
23.	यूबीडी.पीसीबी.परि.57/09.11.600/05-06	15.06.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य-मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकताएं।
24.	यूबीडी. पीसीबी.परि.20/09.11.600/05-06	24.11.2005	वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा-मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान
25.	यूबीडी.पीसीबी.परि.1/09.140.00/05-06	04.07.2005	आय पहचान और अस्ति वर्गीकरण मानदंड
26.	यूबीडी.पीसीबी.परि.42/09.140.00/04-05	30.03.2005	विवेकपूर्ण मानदंड-आईआरएसी और अन्य संबंधित मामले- अर्जित ब्याज के लेखांकन के लिए प्रक्रिया
27.	यूबीडी.पीसीबी.परि.26/09.140.00/04-05	01.11.2004	विवेकपूर्ण मानदंड-राज्य सरकार गारंटीकृत एक्सपोजर।
28.	यूबीडी.पीसीबी.परि.21/12.05.05/04-05	27.09.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरण एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण आवश्यकताएं।
29.	यूबीडी.पीसीबी.परि.22/12.05.05/04-05	27.09.2004	आय की पहचान, अस्ति वर्गीकरण, प्रावधान- 90 दिनों के मानदंडों को अपनाना
30.	यूबीडी.पीसीबी.परि.17/13.04.00/04-05	04.09.2004	आय की पहचान, अस्ति वर्गीकरण, प्रावधान- 90 दिनों के मानदंडों को अपनाना
31.	यूबीडी.पीसीबी.परि.9/13.04.00/04-05	04.08.2004	आय की पहचान, अस्ति वर्गीकरण, प्रावधान- 90 दिनों के मानदंडों को अपनाना
32.	यूबीडी.पीसीबी.परि.सं.55/12.05.05/	30.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरण।

			एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता।
33.	यूबीडी.पीसीबी.परि.सं.53/13.05.03/	30.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरण। कृषि अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
34.	यूबीडी.पीसीबी.सं.49/12.05.03/2003-04	01.06.2004	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान मानदंड
35.	यूबीडी.परि.48/13.04.00/2002-03	22.05.2003	आईआरएसी - ऋण हानि की पहचान के लिए 90 दिनों का मानदंड - छूट
36.	यूबीडी.सं.बीएसडी -आइ.सं.15/12.05.05/2002-03	11.09.2002	आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
37.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आइ.15/12.05.05/2002-03	11.09.2002	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान - 12 महीने के मानदंड
38.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आई.पीसीबी.सं.44/12.05.05/	21.05.2002	कृषि अग्रिमों का वर्गीकरण
39.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आई.पीसीबी.22/12.05.05/2001-02	12.11.2001	पुनर्चित खातों का निरूपण
40.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आई.पीसीबी 13/12.05.05/2001-02	06.10.2001	आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर
41.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आई.पीसीबी.12/12.05.05/01-02	.5.10.2001	आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण - 90 दिनों के मानदंड को अपनाना
42.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आइ.16/12.05.05/2000-2001	8.12.2000	आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और संबंधित मामले - "पिछले देय" अवधारणा।
43.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आइ.पीसीबी/14/12.05.05/	20.11.2000	आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान
44.	यूबीडी.सीओ.बीएसडी-आइ.पीसीबी.34/12.05.05/99-2000	24.05.2000	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश का मूल्यांकन
45.	यूबीडी.सं.बीएसडी.पीसीबी./25/12.05.05/99-00	28.02.2000	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले

46.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आइ/22/12.05.00/99-2000	08.02.2000	आईआरएसी - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि ऋण
47.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आइ/11/12.05.00/1999-2000	12.10.1999	गैर-निष्पादित आस्तियों में स्वर्ण ऋणों के वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण
48.	यूबीडी.सं.बीएसडी.आइ/2/12.05.05/1999-2000	28.07.1999	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान - वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की अवधारणा
49.	यूबीडी.सं.बीएसडी -आइ.29/12.05.05/98-99	23.04.1999	आय पहचान आस्ति वर्गीकरण और अन्य संबंधित मामले
50.	यूबीडी.सं.बीएसडी-आइ.2/12.05.01/98-99	17.07.1998	आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - कृषि अग्रिम
51.	यूबीडी.सं.आई&एल.(पीसीबी)42/12.05.00/	20.03.1997	विवेकपूर्ण मानदंड - आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले।
52.	यूबीडी.सं.आई&एल.(पीसीबी)68/12.05.00/	10.06.1996	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले स्पष्टीकरण
53.	यूबीडी.सं.आई&एल.(पीसीबी)61/12.05.00/94-95	06.06.1995	आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले निवेश और अन्य का मूल्यांकन
54.	यूबीडी.सं.आई&एल (पीसीबी)46/12.05.00/94-95	28.02.1995	आईआरएसी और अन्य संबंधित मामले - अर्जित ब्याज के लेखांकन के लिए प्रक्रिया
55.	यूबीडी.आई&एल (पीसीबी)37/12.05.00/94-95	09.01.1995	आय की पहचान, आस्ति का वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
56.	यूबीडी.सं.आई&एल.86/12.05.00/93-94	28.06.1994	आईआरएसी, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
57.	यूबीडी.सं.आई&एल.63/12.05.00/93-94	01.03.1994	आय की पहचान, आस्ति का वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले

58.	यूबीडी.सं.48/12.05.00/93-94	14.01.1994	आईआरएसी, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
59.	यूबीडी.सं.45/12.05.00/93-94	24.12.1993	आईआरएसी और अन्य संबंधित मामले सरकारी गारंटियों द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं के संबंध में स्पष्टीकरण
60.	यूबीडी.आई&एल.71/जे.1/92-93	17.06.1993	आईआरएसी, पोजिशनिंग और अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
61.	यूबीडी.सं.आई&एल.63जे-1/92-93	16.04.1993	आईआरएसी, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
62.	यूबीडी.सं.आई&एल.38/जे.1-92/93	09.02.1993	आईआरएसी, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
63.	यूबीडी.सं.आई&एल 51/जे.1-90/91	23.02.1991	अनर्जक ऋणों का वर्गीकरण

बी. अन्य परिपत्रों की सूची जिनसे मास्टर परिपत्र में अनुदेशों को भी समेकित किया गया है

सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	यूबीडी.सं.डीएस.पीसीबी.परि.3/13.04.00/2002-03	20.07.2002	मासिक अंतराल पर ब्याज वसूलना
2.	यूबीडी.सं. पीओटी.पीसीबी.सीआईआर.सं.45/09.116.00/2000-01	25.04.2001	पीसीबी पर सीआरएआर मानदंड लागू करना
3.	यूबीडी.सं.डीएस.पीसीबी.20/13.04.00/97-98	10.11.1997	कृषि अग्रिम पर ब्याज की चक्रवृद्धि